



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एन.-अ.-23062021-227794  
CG-TN-E-23062021-227794

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 2021/ज्येष्ठ 31, 1943

No. 254]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 2021/JYAISTHA 31, 1943

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

अधिसूचना

चेन्नई, 21 जून, 2021

सं. आईएमयू/मुख्यालय/एडीएम/अधिसूचना/2021/01.—भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 के 22वें) की धारा 47(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सामान्य सूचना हेतु निम्नांकित अधिसूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं :

क्रम सं	सांविधि / देश/ अध्या अधिसूचना	विवरण	कार्यकारी परिषद् का संकल्प
1.	2017 का अध्यादेश 06	वायो मैट्रिक अटेंडेंस सिस्टम पर अध्यादेश	दिनांक 06.10.2020 का ईसी 2020-56-09 के द्वारा संशोधित
2.	2020 का आर्डिनंस 01	आईएमयू में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड निर्धारित करता आर्डिनंस	ईसी 2020-54-09 दिनांक 09.07.2020 & दिनांक 06.10.2020 का ईसी 2020-56-01 के द्वारा संशोधित
3	2020 का आर्डिनंस 02	"मूल्यांकन प्रक्रिया, पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया, पुनः गणना, उत्तर पत्रिकाओं की	ईसी 2020-54-10 दिनांक 09.07.2020 द्वारा संशोधित.

		फोटोकॉपी जारी करना, आईएमयू कार्यक्रमों के लिए परीक्षा समिति और उत्तर पत्रिकाओं की समीक्षा को निर्धारित करता आर्डिनेंस।	
4	2020 का आर्डिनेंस 03	संबद्धता शुल्क निर्धारित करता आर्डिनेंस	ईसी 2020-54-18 दिनांक 09.07.2020 द्वारा संशोधित
5	2020 का आर्डिनेंस 04	परीक्षा, कॉन्वोकेशन और विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए शुल्क और पारिश्रमिक	ईसी 2020-54-21 दिनांक 09.07.2020 द्वारा संशोधित
6	2020 का आर्डिनेंस 05	कुलसचिव के पद के लिए भर्ती नियम	ईसी 2020-57-06 दिनांक 18.12.2020 द्वारा संशोधित
7	2020 का आर्डिनेंस 06	वित्त अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम	ईसी 2020-57-06 दिनांक 18.12.2020 द्वारा संशोधित
8	2020 का आर्डिनेंस 07	परीक्षा नियंत्रक के पद के लिए भर्ती नियम	ईसी 2020-57-06 दिनांक 18.12.2020 द्वारा संशोधित

**नोट :** अंग्रेज़ी और हिंदी के रूपांतरणों के बीच में यदि कोई विसंगति हो तो अंग्रेज़ी रूप को अभिभावी माना जाएगा।

#### वर्ष 2017 का अध्यादेश 06

[दिनांक 06.10.2020 का ईसी 2020-56-09 के द्वारा संशोधित]

#### बायो मैट्रिक अटेंडेंस सिस्टम पर अध्यादेश

नोट : राजपत्र संख्या 183 दिनांक 03.05.2017 में प्रकाशित 2017 का 06वां अध्यादेश निरस्त है।

#### वर्ष 2020 का अध्यादेश 01

[ईसी 2020-54-09 दिनांक 09.07.2020 & दिनांक 06.10.2020 का ईसी 2020-56-01 के द्वारा संशोधित]

#### “आईएमयू में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड निर्धारित करता आर्डिनेंस”

यह आर्डिनेंस आईएमयू के पूर्वस्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड को निर्धारित करता है। आईएमयू द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम पेश किए जाते हैं:

#### (i) पूर्व-स्नातक कार्यक्रमों

१. ४- वर्षीय बी.टेक (मरीन इंजीनियरिंग)
२. ३-वर्षीय बी.एस.सी (नॉटिकल साइंस)
३. ४-वर्षीय बी.टेक (नवल आर्किटेक्चर एवं ओशन इंजीनियरिंग)
४. ३-वर्षीय बी.एस.सी (शिप बिल्डिंग एवं रिपेर) -  
(यह कार्यक्रम केवल एक संबद्ध संस्थान में संचालित होता है)।
५. ३-वर्षीय बी.बी.ए. (लॉजिस्टिक्स, रिटेलिंग एवं ई-कॉमर्स)
६. १-वर्षीय डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस (डीएनएस) जो बी.एस.सी (एप्लाइड नॉटिकल साइंस) के लिए अग्रणी है

ध्यान दें: शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ से बी.एस.सी. समुद्री विज्ञान कार्यक्रम के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया है।

**२२/३२ वर्ष में लेटरल एंटी**

१. बी.टेक का २२ वर्ष (मरीन इंजीनियरिंग)
२. बी.टेक का २२ वर्ष (नवल आर्किटेक्चर एवं ओशन इंजीनियरिंग)
३. बी.एस.सी का २२ वर्ष (नॉटिकल साइंस)

**(ii) स्नातकोत्तर कार्यक्रम**

१. २-वर्षीय एम.टेक (समुद्री इंजीनियरिंग और प्रबंधन)
२. २-वर्षीय एम.टेक (नवल आर्किटेक्चर एवं ओशन इंजीनियरिंग)
३. २-वर्षीय एम.टेक (ड्रेजिंग एवं हार्बर इंजीनियरिंग)
४. २-वर्षीय एम. एससी (कमर्शियल शिपिंग एवं लॉजिस्टिक्स)
५. २-वर्षीय एम.बी.ए. (इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट)
६. २-वर्षीय एम.बी.ए. (पोर्ट एवं शिपिंग मैनेजमेंट)

**(iii) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम**

१ वर्ष का मरीन इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (पी.जी.डी.एम.ई)।

**(iv) रिसर्च कार्यक्रम**

- (क) एम.एस. (रिसर्च द्वारा) (कृपया पात्रता मानदंड के लिए २०१८ के आर्डिनेंस ३१ का संदर्भ लें)
- (ख) पी.एच.डी. (पात्रता मानदंडों के लिए कृपया २०१८ आर्डिनेंस ३० का संदर्भ लें)

उपर्युक्त कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड [क्र.सं. (i) से (iii)] नीचे दिए गए हैं:

<b>(i) पूर्वस्नातक कार्यक्रमों</b>		
<b>क. ४- वर्षीय बीटेक. (मरीन इंजीनियरिंग)</b>		
(i)	पात्रता	१० + २/समकक्ष (१०वीं या १२वीं परीक्षा में पीसीएम-६०% और अंग्रेजी विषय में और न्यूनतम ५०% अंक)।
(ii)	आयु मानदंड	न्यूनतम आयु: १७ वर्ष अधिकतम आयु: पुरुष के लिए: सामान्य -२५ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) -२८ वर्ष, एससी / एसटी -३० वर्ष महिला के लिए: जनरल -२७ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) -३० वर्ष, एससी / एसटी - ३२ वर्ष। आयु की गणना के लिए संदर्भ तिथि शैक्षणिक सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से होगी
(iii)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए छूट (यदि कोई हो)	पात्रता अंकों में ५% की छूट होगी; हालाँकि, यह अंग्रेजी के अंक पर लागू नहीं होगा। अंग्रेजी के अंकों में ५% की छूट उन उम्मीदवारों पर लागू होगी जो लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी हैं और उनकी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं और वो एवं जिनके दोनों माता-पिता उन द्वीपों में पैदा हुए थे और जो उन द्वीपों के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं।
(iv)	पात्रता -मेडिकल	<b>शारीरिक योग्यता</b> इन मरीन कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को यथा संशोधित, मार्चेन्ट शिपिंग (मेडिकल एग्जामिनेशन) रूल्स, २००० में निर्धारित किए गए अनुसार दृष्टि

		<p><b>और श्रवण सहित चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।</b>  प्रवेश के समय, उम्मीदवारों को जहाजरानी महानिदेशालय, मुंबई द्वारा अनुमोदित डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए मेडिकल फिटनेस के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।</p> <p><b>नेत्र दृष्टि:</b>  दोनों आँखों में से एक आंख या किसी भी आंख की पलकों की किसी भी रुग्ण स्थिति का कोई प्रमाण नहीं होगा, जो अपवृद्धि या पुनरावृत्ति के जोखिम के लिए जिम्मेदार हो सकती है। उम्मीदवारों में अच्छी द्विनेत्रीय दृष्टि (फ्यूजन फैकल्टी और दोनों आंखों में संपूर्ण दृष्टिगोचरता) होनी चाहिए। नेत्रगोलक की गति सभी दिशाओं में संपूर्ण होनी चाहिए और आंख की पुतली को प्रकाश और मेल के लिए सामान्य रूप से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। सामान्य रंग दृष्टि का परीक्षण इशिहारा परीक्षण चार्ट द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक आंख में सहायता रहित दूर दृष्टि ०.५* (६/१२) या स्वस्थ आंख में ०.६७ * (६/९) और दूसरी आंख में ०.३३ * (६/१८)।</p>
<b>ख. ३-वर्षीय बी.एस.सी. (नॉटिकल साइंस)</b>		
(i)	पात्रता	१०+२/समकक्ष (पीसीएम-६०%) १०वीं या १२वीं परीक्षा में अंग्रेजी विषय में न्यूनतम ५०% अंक के साथ।
(ii)	आयु मानदंड	न्यूनतम आयु: १७ वर्ष <b>अधिकतम आयु:</b> पुरुष के लिए: जनरल -२५ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) -२८ वर्ष, एससी / एसटी -३० वर्ष महिला के लिए: जनरल -२७ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) -३० वर्ष, एससी / एसटी -३२ वर्ष। आयु की गणना के लिए संदर्भ तिथि शैक्षणिक सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से होगी
(iii)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए छूट (यदि कोई हो)	पात्रता अंकों में ५% की छूट होगी; हालाँकि, यह अंग्रेजी के अंक पर लागू नहीं होगा। अंग्रेजी के अंकों में ५% की छूट उन उम्मीदवारों पर लागू होगी जो लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी हैं और उनकी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं और जो एवं जिनके दोनों माता-पिता उन द्वीपों में पैदा हुए थे और जो उन द्वीपों के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं।
(iv)	पात्रता -मेडिकल	<p><b>शारीरिक योग्यता</b>  इन मरीन कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को यथा संशोधित, मर्चेन्ट शिपिंग (मेडिकल एग्जामिनेशन) रूल्स, २००० में निर्धारित किए गए अनुसार दृष्टि और श्रवण सहित चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।</p> <p>प्रवेश के समय, उम्मीदवारों को जहाजरानी महानिदेशालय, मुंबई द्वारा अनुमोदित डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए मेडिकल फिटनेस के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।</p> <p><b>नेत्र दृष्टि:</b>  दोनों आँखों में से एक आंख या किसी भी आंख की पलकों की किसी भी रुग्ण स्थिति का कोई प्रमाण नहीं होगा, जो अपवृद्धि या पुनरावृत्ति के जोखिम के लिए जिम्मेदार हो सकती है। उम्मीदवारों में अच्छी द्विनेत्रीय दृष्टि (फ्यूजन फैकल्टी और दोनों आंखों में संपूर्ण दृष्टिगोचरता) होनी चाहिए। नेत्रगोलक की गति सभी दिशाओं में संपूर्ण होनी चाहिए और आंख की पुतली को प्रकाश और मेल के लिए सामान्य रूप से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। सामान्य रंग दृष्टि का परीक्षण इशिहारा परीक्षण चार्ट द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक आंख में सहायता रहित दूर दृष्टि १.०* (६/६) या स्वस्थ आंख में ०.६७ * (६/९)।</p>

<b>ग. ४-वर्षीय बी.टेक (नवल आर्किटेक्चर एवं ओशन इंजीनियरिंग)</b>		
(i)	पात्रता	१०+२/समकक्ष (पीसीएम-६०%) १०वीं या १२वीं परीक्षा में अंग्रेजी विषय में न्यूनतम ५०% अंक के साथ।
(ii)	आयु मानदंड	न्यूनतम आयु: १७ वर्ष अधिकतम आयु: पुरुष के लिए: जनरल -२५ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) -२८ वर्ष, एससी / एसटी -३० वर्ष महिला के लिए: जनरल -२७ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) -३० वर्ष, एससी / एसटी -३२ वर्ष। आयु की गणना के लिए संदर्भ तिथि शैक्षणिक सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से होगी
(iii)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए छूट (यदि कोई हो)	पात्रता अंकों में ५% की छूट होगी; हालाँकि, यह अंग्रेजी के अंक पर लागू नहीं होगा।
(iv)	पात्रता-मेडिकल	इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सत्यापन के समय पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक शारीरिक फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
<b>घ. ३-वर्षीय बी.एस.सी (शिप बिल्डिंग एवं रिपेर)</b>		
(i)	पात्रता	१०+२/समकक्ष (पीसीएम-६०%) १०वीं/१२वीं परीक्षा में अंग्रेजी विषय में न्यूनतम ५०% अंक के साथ।
(ii)	आयु मानदंड	न्यूनतम आयु: १७ वर्ष अधिकतम आयु: पुरुष के लिए: जनरल -२५ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) -२८ वर्ष, एससी / एसटी -३० वर्ष महिला के लिए: जनरल -२७ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) -३० वर्ष, एससी / एसटी -३२ वर्ष। आयु की गणना के लिए संदर्भ तिथि शैक्षणिक सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से होगी
(iii)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए छूट (यदि कोई हो)	पात्रता अंकों में ५% की छूट होगी; हालाँकि, यह अंग्रेजी के अंक पर लागू नहीं होगा।
(iv)	पात्रता-मेडिकल	इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सत्यापन के समय पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक शारीरिक फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
<b>ङ. ३-वर्षीय बी.बी.ए. (लॉजिस्टिक्स, रिटेलिंग एवं ई-कॉमर्स)</b>		
(i)	पात्रता	किसी भी प्रवाह में कुल अंकों के न्यूनतम ६०% साथ १० + २/ समकक्ष और १०वीं/१२वीं परीक्षा में अंग्रेजी विषय में न्यूनतम ५०% अंक। ध्यान दें: कुल अंकों के प्रतिशत की गणना अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंकों के साथ मुख्य विषयों (अन्य भाषाओं को छोड़कर) में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखकर की जाएगी।
(ii)	आयु मानदंड	न्यूनतम आयु: १७ वर्ष अधिकतम आयु: पुरुष के लिए: जनरल -२५ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) -२८ वर्ष, एससी / एसटी -३० वर्ष महिला के लिए: जनरल -२७ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) -३० वर्ष, एससी / एसटी -३२ वर्ष। आयु की गणना के लिए संदर्भ तिथि शैक्षणिक सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से होगी

(iii)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए छूट (यदि कोई हो)	पात्रता अंकों में ५% की छूट होगी; हालाँकि, यह अंग्रेजी के अंक पर लागू नहीं होगा।
(iv)	पात्रता-मेडिकल	इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सत्यापन के समय पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक शारीरिक फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
<b>च. १-वर्षीय डीएनएस कोर्स जो बी.एससी (एप्लाइड नॉटिकल साइंस) के लिए अग्रणी होगा</b>		
(i)	पात्रता	<p>i) १०+२/समकक्ष (पीसीएम-६०%) १०वीं/१२वीं परीक्षा में अंग्रेजी विषय में न्यूनतम ५०% अंक के साथ।</p> <p>या</p> <p>ii) फिजिक्स, गणित, केमिस्ट्री में बी.एस.सी. या एक वर्ष में विशिष्ट विषय में रूप में फिजिक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ अंतिम वर्ष में औसतन ५५% से कम अंक नहीं होने चाहिए।</p> <p>या</p> <p>iii) आईआईटी से बी.ई./बी.टेक डिग्री या एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से, जहाँ अंतिम वर्ष में ५०% से कम अंक का औसत नहीं होना चाहिए</p> <p>ध्यान दें: उम्मीदवार को १०वीं/१२वीं / डिग्री परीक्षा में अंग्रेजी विषय में न्यूनतम ५०% अंक होने चाहिए।</p>
(ii)	आयु मानदंड	<p>न्यूनतम आयु: १७ वर्ष</p> <p>अधिकतम आयु:</p> <p>पुरुष के लिए: जनरल -२५ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) -२८ वर्ष, एससी / एसटी -३० वर्ष</p> <p>महिला के लिए: जनरल -२७ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) -३० वर्ष, एससी / एसटी -३२ वर्ष।</p> <p>आयु की गणना के लिए संदर्भ तिथि शैक्षणिक सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से होगी</p>
(iii)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए छूट (यदि कोई हो)	पात्रता अंकों में ५% की छूट होगी; हालाँकि, यह अंग्रेजी के अंक पर लागू नहीं होगा। अंग्रेजी के अंकों में ५% की छूट उन उम्मीदवारों पर लागू होगी जो लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी हैं और उनकी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं और वो एवं जिनके दोनों माता-पिता उन द्वीपों में पैदा हुए थे और जो उन द्वीपों के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं।
(iv)	पात्रता -मेडिकल	<p><b>शारीरिक योग्यता</b></p> <p>इन मरीन कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को यथा संशोधित, मर्चेन्ट शिपिंग (मेडिकल एग्जामिनेशन) रूल्स, २००० में निर्धारित किए गए अनुसार दृष्टि और श्रवण सहित चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।</p> <p>प्रवेश के समय, उम्मीदवारों को जहाजरानी महानिदेशालय, मुंबई द्वारा अनुमोदित डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए मेडिकल फिटनेस के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।</p> <p><b>नेत्र दृष्टि:</b></p> <p>दोनों आँखों में से एक आंख या किसी भी आंख की पलकों की किसी भी रुग्ण स्थिति का कोई प्रमाण नहीं होगा, जो अपवृद्धि या पुनरावृत्ति के जोखिम के लिए जिम्मेदार हो सकती है। उम्मीदवारों में अच्छी द्विनेत्रीय दृष्टि (फ्यूजन फैकल्टी और दोनों आँखों में संपूर्ण दृष्टिगोचरता) होनी चाहिए। नेत्रगोलक की गति सभी दिशाओं में संपूर्ण होनी चाहिए और आंख की पुतली को प्रकाश और मेल के लिए सामान्य रूप से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। सामान्य रंग दृष्टि का परीक्षण इशिहारा परीक्षण चार्ट द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक आंख में सहायता रहित दूर दृष्टि १.०* (६/६) या स्वस्थ आंख में</p>

		०.६७ * (६/९).
<b>२/३ वर्ष में प्रवेश के लिए लेटरल एंट्री कार्यक्रम</b>		
<b>क. बी.टेक का २रा वर्ष (मरीन इंजीनियरिंग)</b>		
(i)	पात्रता	<p>उम्मीदवार जो निम्न में उत्तीर्ण हुए हैं:</p> <p>डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में कुल अंकों का न्यूनतम ५५% के साथ एआईसीटीई या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित कॉलेजों से मरीन/मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में ३-वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा।</p> <p>या</p> <p>डिप्लोमा कोर्स के अंतिम वर्ष में कुल अंकों के न्यूनतम ५५% के साथ एआईसीटीई या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित कॉलेजों से शिपबिल्डिंग इंजीनियरिंग में ४ वर्षका डिप्लोमा</p> <p>या</p> <p>डी.जी. शिपिंग (यह एमईआरआई पर लागू नहीं होगा) द्वारा अनुमोदित, वैकल्पिक प्रशिक्षण योजना से प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण।</p> <p>या</p> <p>न्यूनतम ६०% औसत अंकों के साथ एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जैसे अन्य प्रवाह में इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रथम वर्ष।</p> <p>या</p> <p>डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में कुल अंकों का न्यूनतम ५५% के साथ एआईसीटीई या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित कॉलेजों से, निम्नलिखित श्रेणियों में ३ वर्ष का डिप्लोमा कोर्स:</p> <p>क) मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रवाह: ऑटोमोबाइल/ मशीन टूल्स एवं मेन्टेनन्स /प्लांट इंजीनियरिंग/ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी/ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/ टूल एवं डाई मेकिंग में एडवांस्ड डिप्लोमा।</p> <p>ख) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रवाह: इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम</p> <p>ग) इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्रवाह: डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कॉम्युनिकेशन्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकॉम्युनिकेशन्स/ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन एवं मेन्टेनन्स/ इंस्ट्रुमेंटेशन/ इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग</p> <p>तथा</p> <p>उम्मीदवार को १०वीं या १२वीं में अंग्रेजी भाषा में न्यूनतम ५०% अंक प्राप्त होने चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में होना चाहिए।</p> <p>उम्मीदवार को ३ या ४ वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर डिप्लोमा पूरा किया होना चाहिए, जैसी स्थिति हो।</p>
(ii)	आयु मानदंड	<p>न्यूनतम आयु: १७ वर्ष</p> <p>अधिकतम आयु:</p> <p>पुरुष के लिए: जनरल - २५ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) - २८ वर्ष, एससी / एसटी - ३० वर्ष</p> <p>महिला के लिए: जनरल - २७ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) - ३० वर्ष, एससी / एसटी - ३२ वर्ष।</p> <p>आयु की गणना के लिए संदर्भ तिथि शैक्षणिक सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से होगी</p>

(iii)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए छूट (यदि कोई हो)	पात्रता अंकों में ५% की छूट होगी; हालाँकि, यह अंग्रेजी के अंक पर लागू नहीं होगा। अंग्रेजी के अंकों में ५% की छूट उन उम्मीदवारों पर लागू होगी जो लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी हैं और उनकी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं और वो एवं जिनके दोनों माता-पिता उन द्वीपों में पैदा हुए थे और जो उन द्वीपों के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं।
(iv)	पात्रता –मेडिकल	<p><b>शारीरिक योग्यता</b></p> <p>इन मरीन कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को यथा संशोधित, मर्चेन्ट शिपिंग (मेडिकल एग्जामिनेशन) रूल्स, २००० में निर्धारित किए गए अनुसार दृष्टि और श्रवण सहित चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।</p> <p>प्रवेश के समय, उम्मीदवारों को जहाजरानी महानिदेशालय, मुंबई द्वारा अनुमोदित डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए मेडिकल फिटनेस के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।</p> <p><b>नेत्र दृष्टि:</b></p> <p>दोनों आँखों में से एक आंख या किसी भी आंख की पलकों की किसी भी रुग्ण स्थिति का कोई प्रमाण नहीं होगा, जो अपवृद्धि या पुनरावृत्ति के जोखिम के लिए जिम्मेदार हो सकती है। उम्मीदवारों में अच्छी द्विनेत्रीय दृष्टि (फ्यूजन फैकल्टी और दोनों आँखों में संपूर्ण दृष्टिगोचरता) होनी चाहिए। नेत्रगोलक की गति सभी दिशाओं में संपूर्ण होनी चाहिए और आंख की पुतली को प्रकाश और मेल के लिए सामान्य रूप से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। सामान्य रंग दृष्टि का परीक्षण इशिहारा परीक्षण चार्ट द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक आंख में सहायता रहित दूर दृष्टि ०.५*(६/१२) या स्वस्थ आंख में ०.६७*(६/९) और दूसरी आंख में ०.३३*(६/१८)।</p>
<b>ख. बी.टेक का २रा वर्ष (नवल आर्किटेक्चर एवं ओशन इंजीनियरिंग)</b>		
(i)	पात्रता	<p>निम्न में ६०% अंकों के साथ उम्मीदवार:</p> <p>इंस्टीट्यूट ऑफ शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, गोवा से शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग में ४ वर्ष का डिप्लोमा।</p> <p><b>या</b></p> <p>एएमईटी विश्वविद्यालय, चेन्नई से नवल आर्किटेक्चर एवं ऑफशोर इंजीनियरिंग में ३ वर्ष का डिप्लोमा</p> <p><b>या</b></p> <p>एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित किसी भी संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग /सिविल इंजीनियरिंग में ३ वर्ष का डिप्लोमा</p> <p><b>तथा</b></p> <p>१०वीं/१२वीं परीक्षा में अंग्रेजी विषय में न्यूनतम ५०% अंक।</p> <p>उम्मीदवार को ३ या ४ वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर डिप्लोमा पूरा किया होना चाहिए, जैसी स्थिति हो।</p>
(ii)	आयु मानदंड	<p>न्यूनतम आयु: १८ वर्ष</p> <p><b>अधिकतम आयु:</b></p> <p>पुरुष के लिए: जनरल -२६ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) -२९ वर्ष, एससी / एसटी -३१ वर्ष</p> <p>महिला के लिए: जनरल -२८ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) -३१ वर्ष, एससी / एसटी - ३३ वर्ष।</p> <p>आयु की गणना के लिए संदर्भ तिथि शैक्षणिक सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से होगी</p>
(iii)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए छूट (यदि कोई हो)	पात्रता अंकों में ५% की छूट होगी; हालाँकि, यह अंग्रेजी के अंक पर लागू नहीं होगा।



(iv)	पात्रता—मेडिकल	इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सत्यापन के समय पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक शारीरिक फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
<b>ग. बी.एस.सी. का २रा वर्ष (नॉटिकल साइंस)</b>		
(i)	पात्रता	कम से कम कुल ६०% अंकों के साथ नॉटिकल साइंस (डीएनएस) में १ वर्ष का डिप्लोमा और १०वीं/१२वीं परीक्षा में अंग्रेजी विषय में न्यूनतम ५०% अंक।
(ii)	आयु मानदंड	न्यूनतम आयु: १७ वर्ष अधिकतम आयु: पुरुष के लिए: जनरल - २५ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) - २८ वर्ष, एससी / एसटी - ३० वर्ष महिला के लिए: जनरल - २७ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) - ३० वर्ष, एससी / एसटी - ३२ वर्ष। आयु की गणना के लिए संदर्भ तिथि शैक्षणिक सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से होगी
(iii)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए छूट (यदि कोई हो)	पात्रता अंकों में ५% की छूट होगी; हालाँकि, यह अंग्रेजी के अंक पर लागू नहीं होगा। अंग्रेजी के अंकों में ५% की छूट उन उम्मीदवारों पर लागू होगी जो लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी हैं और उनकी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं और वो एवं जिनके दोनों माता-पिता उन द्वीपों में पैदा हुए थे और जो उन द्वीपों के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं।
(iv)	पात्रता—मेडिकल	<b>शारीरिक योग्यता</b> इन मरीन कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को यथा संशोधित, मर्चेन्ट शिपिंग (मेडिकल एग्जामिनेशन) रूल्स, २००० में निर्धारित किए गए अनुसार दृष्टि और श्रवण सहित चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए। प्रवेश के समय, उम्मीदवारों को जहाजरानी महानिदेशालय, मुंबई द्वारा अनुमोदित डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए मेडिकल फिटनेस के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। <b>नेत्र दृष्टि:</b> दोनों आँखों में से एक आंख या किसी भी आंख की पलकों की किसी भी रुग्ण स्थिति का कोई प्रमाण नहीं होगा, जो अपवृद्धि या पुनरावृत्ति के जोखिम के लिए जिम्मेदार हो सकती है। उम्मीदवारों में अच्छी द्विनेत्रीय दृष्टि (फ्यूजन फैकल्टी और दोनों आंखों में संपूर्ण दृष्टिगोचरता) होनी चाहिए। नेत्रगोलक की गति सभी दिशाओं में संपूर्ण होनी चाहिए और आंख की पुतली को प्रकाश और मेल के लिए सामान्य रूप से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। सामान्य रंग दृष्टि का परीक्षण इशिहारा परीक्षण चार्ट द्वारा किया जाएगा। स्वस्थ आंख में सहायता रहित दूर दृष्टि १.०*(६/६) और दूसरी आंख में ०.६७*(६/९)।
<b>(ii) स्नातकोत्तर कार्यक्रम</b>		
<b>क. २-वर्षीय एम.टेक. (मरीन इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट)</b>		
(i)	पात्रता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम ६०% अंकों के साथ मरीन इंजीनियरिंग / मैकेनिकल इंजीनियरिंग / नवल आर्किटेक्चर में बी.ई./बी.टेक। या कम से कम ६०% अंकों (परीक्षा द्वारा) के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियर्स पार्ट ए और बी के संस्थान के एसोसिएट सदस्य। या एमईओ वर्ग। भारत सरकार द्वारा जारी योग्यता प्रमाण पत्र। ध्यान दें: मरीन इंजीनियरिंग / मैकेनिकल इंजीनियरिंग / नवल आर्किटेक्चर में गेट

		स्कोर वाले उम्मीदवारों को आईएमयू की सीईटी से छूट दी गई है, हालांकि, उन्हें केवल शेष सीट के विरुद्ध प्रवेश के लिए माना जाएगा।
(ii)	आयु मानदंड	आयु की कोई सीमा नहीं है
(iii)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए छूट (यदि कोई हो)	पात्रता अंकों में ५% की छूट होगी
(iv)	पात्रता – मेडिकल	इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक शारीरिक फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
<b>ख. २-वर्षीय एम.टेक. (नवल आर्किटेक्चर एवं ओशन इंजीनियरिंग)</b>		
(i)	पात्रता	मैकेनिकल/सिविल/मरीन/नवल आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग स्नातक या ६०% कुल अंकों के साथ समकक्ष
(ii)	आयु मानदंड	आयु की कोई सीमा नहीं है
(iii)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए छूट (यदि कोई हो)	पात्रता अंकों में ५% की छूट होगी
(iv)	पात्रता – मेडिकल	इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सत्यापन के समय पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक शारीरिक फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
<b>ग. २-वर्षीय एम.टेक. (ड्रेजिंग एवं हारबर इंजीनियरिंग)</b>		
(i)	पात्रता	मैकेनिकल/सिविल/मरीन/नवल आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग स्नातक या ६०% कुल अंकों के साथ समकक्ष
(ii)	आयु मानदंड	आयु की कोई सीमा नहीं है
(iii)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए छूट (यदि कोई हो)	पात्रता अंकों में ५% की छूट होगी
(iv)	पात्रता – मेडिकल	इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक शारीरिक फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
<b>घ. २-वर्षीय एम.एस.सी. (कमर्शियल शिपिंग एवं लोजिस्टिक्स)</b>		
(i)	पात्रता	<p><b>श्रेणी-I:</b> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से न्यूनतम ५०% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री और १०वीं/१२वीं/यूजी डिग्री में अंग्रेजी विषय में न्यूनतम ५०% अंक।</p> <p>इस श्रेणी के तहत उम्मीदवार को आईएमयू के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) के लिए उपस्थित होना पड़ेगा और इस कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होना पड़ेगा।</p> <p><b>श्रेणी-II:</b> प्रत्येक आईएमयू कैंपस में ५०% सीटें जहां एम.एस.सी. (कमर्शियल शिपिंग और लॉजिस्टिक्स) पेश किया जा रहा है, वे मास्टर सर्टिफिकेट ऑफ कम्पेटेन्सी (एफजी) या एमईओ श्रेणी I सर्टिफिकेट ऑफ कम्पेटेन्सी वाले नाविकों के लिए आरक्षित होंगी।</p> <p>श्रेणी-II के उम्मीदवारों के लिए कोई सीईटी नहीं होगी।</p> <p>यदि योग्य नाविकों द्वारा किये गए आवेदनों की संख्या आरक्षित सीटों की संख्या से कम है, तो श्रेणी-I से उम्मीदवारों को रिक्त सीटें आवंटित की जाएगी।</p> <p>यदि योग्य नाविकों द्वारा किये गए आवेदनों की संख्या आरक्षित सीटों की संख्या से अधिक है, तो आईएमयू कार्यक्रम के लिए श्रेणी-II के उम्मीदवारों का चयन करने के</p>

		लिए एक अलग ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा।
(ii)	आयु मानदंड	आयु की कोई सीमा नहीं है
(iii)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए छूट (यदि कोई हो)	पात्रता अंकों में ५% की छूट होगी; हालाँकि, यह अंग्रेजी के अंक पर लागू नहीं होगा।
(iv)	पात्रता – मेडिकल	इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक शारीरिक फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
<b>ड. २-वर्षीय एम.बी.ए. (इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एवं लोजिस्टिक्स मैनेजमेंट)</b>		
(i)	पात्रता	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से न्यूनतम ५०% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री और १०वीं / १२वीं / यूजी डिग्री में अंग्रेजी विषय में न्यूनतम ५०% अंक।
(ii)	आयु मानदंड	आयु की कोई सीमा नहीं है
(iii)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए छूट (यदि कोई हो)	पात्रता अंकों में ५% की छूट होगी; हालाँकि, यह अंग्रेजी के अंक पर लागू नहीं होगा।
(iv)	पात्रता – मेडिकल	इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक शारीरिक फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
<b>च. २-वर्षीय एम.बी.ए. (पोर्ट एवं शिपिंग मैनेजमेंट)</b>		
(i)	पात्रता	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से न्यूनतम ५०% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री और १०वीं / १२वीं / यूजी डिग्री में अंग्रेजी विषय में न्यूनतम ५०% अंक।
(ii)	आयु मानदंड	आयु की कोई सीमा नहीं है
(iii)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए छूट (यदि कोई हो)	पात्रता अंकों में ५% की छूट होगी; हालाँकि, यह अंग्रेजी के अंक पर लागू नहीं होगा।
(iv)	पात्रता – मेडिकल	इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक शारीरिक फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
<b>(iii) स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम</b>		
<b>मरीन इंजीनियरिंग में १ वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा -</b>		
(i)	पात्रता	अंतिम वर्ष में न्यूनतम ५०% अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई / बी.टेक और १०वीं या १२वीं या डिग्री परीक्षा में अंग्रेजी भाषा में न्यूनतम ५०% अंकों के साथ। या सभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रवाह में पूर्णकालिक बी.ई/ बी.टेक उदाहरण के लिए मैकेनिकल और ऑटोमेशन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल आदि। हालांकि, शब्द "मैकेनिकल" प्रथम यह संकेत देता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मूल विषय है और दूसरा विषय वैकल्पिक है। उम्मीदवार को १०वीं या १२वीं या डिग्री परीक्षा में अंग्रेजी भाषा में न्यूनतम ५०% अंको प्राप्त होने चाहिए। या उम्मीदवार जिसके पास सभी नवल आर्किटेक्चर प्रवाहों में डिग्री हैं, उदाहरण के लिए नवल आर्किटेक्चर एवं ओशन इंजीनियरिंग, नवल आर्किटेक्चर, और शिप बिल्डिंग, आदि। हालांकि, शब्द "नवल आर्किटेक्चर" प्रथम यह संकेत देता है कि नवल आर्किटेक्चर मूल विषय है और दूसरा विषय वैकल्पिक है। उम्मीदवार को १०वीं या

		१२वीं या डिग्री परीक्षा में अंग्रेजी भाषा में न्यूनतम ५०% अंको प्राप्त होने चाहिए।
(ii)	आयु मानदंड	अधिकतम आयु: पुरुष के लिए: जनरल -२८ वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) -३१ वर्ष, एससी/ एसटी - ३३ वर्ष महिला के लिए: जनरल -३० वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) -३३ वर्ष, एससी/ एसटी - ३५ वर्ष। आयु की गणना के लिए संदर्भ तिथि शैक्षणिक सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से होगी
(iii)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए छूट (यदि कोई हो)	पात्रता अंकों में ५% की छूट होगी; हालाँकि, यह अंग्रेजी के अंक पर लागू नहीं होगा। अंग्रेजी के अंकों में ५% की छूट उन उम्मीदवारों पर लागू होगी जो लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी हैं और उनकी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं और वो एवं जिनके दोनों माता-पिता उन द्वीपों में पैदा हुए थे और जो उन द्वीपों के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं।
(iv)	पात्रता – मेडिकल	<b>शारीरिक योग्यता</b> इन मरीन कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को यथा संशोधित, मार्चेन्ट शिपिंग (मेडिकल एग्जामिनेशन) रूल्स, २००० में निर्धारित किए गए अनुसार दृष्टि और श्रवण सहित चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए। प्रवेश के समय, उम्मीदवारों को जहाजरानी महानिदेशालय, मुंबई द्वारा अनुमोदित डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए मेडिकल फिटनेस के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। <b>नेत्र दृष्टि:</b> दोनों आँखों में से एक आंख या किसी भी आंख की पलकों की किसी भी रुग्ण स्थिति का कोई प्रमाण नहीं होगा, जो अपवृद्धि या पुनरावृत्ति के जोखिम के लिए जिम्मेदार हो सकती है। उम्मीदवारों में अच्छी द्विनेत्रीय दृष्टि (फ्यूजन फैकल्टी और दोनों आँखों में संपूर्ण दृष्टिगोचरता) होनी चाहिए। नेत्रगोलक की गति सभी दिशाओं में संपूर्ण होनी चाहिए और आंख की पुतली को प्रकाश और मेल के लिए सामान्य रूप से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। सामान्य रंग दृष्टि का परीक्षण इशिहारा परीक्षण चार्ट द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक आंख में सहायता रहित दूर दृष्टि ०.५*(६/१२) या स्वस्थ आंख में ०.६७*(६/९) और दूसरी आंख में ०.३३*(६/१८)।

ध्यान दें: आधिकारिक राजपत्र सं. ३५० दिनांक १२.०९.२०१८ में प्रकाशित २०१८ का आर्डिनेंस २६ निरस्त किया जाएगा।

### 2020 का आर्डिनेंस 02

[ईसी 2020-54-10 दिनांक 09.07.2020 द्वारा संशोधित]

**“मूल्यांकन प्रक्रिया, पुनर्मूल्यांकन, पुनः गणना के लिए प्रक्रिया, उत्तर पत्रिकाओं की फोटोकॉपी जारी करना, आईएमयू कार्यक्रमों के लिए परीक्षा समिति और उत्तर पत्रिकाओं की समीक्षा को निर्धारित करता आर्डिनेंस।**

#### १. मूल्यांकन प्रक्रिया (मैनुअल मूल्यांकन की स्थिति में)

- १.१. यूजी और पीजी कार्यक्रमों के लिए एक मूल्यांकन किया जाएगा।
- १.२. उत्तर पत्रिकाओं का मूल्यांकन परीक्षा खंड (एचक्यू) द्वारा निर्दिष्ट संबंधित क्षेत्र/केंद्र में किया जाएगा।
- १.३. अंकों को कैप्चर करने के लिए ओएमआर शीट के साथ उत्तर पत्रिकाओं को नियुक्त जोनल कोऑर्डिनेटर द्वारा परीक्षकों को सौंपा जाएगा।
- १.४. परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं में दी गई पहली शीट पर ही प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक देगा।

- १.५. परीक्षार्थी को उत्तर पत्रिकाओं में कोई अंकन नहीं करना चाहिए क्योंकि इन उत्तर पत्रिकाओं को भविष्य में पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। यह दूसरे और तीसरे परीक्षार्थियों (जहां आवश्यक हो) को पहले के मूल्यांकन से पूर्वाग्रही बनने से बचने के लिए किया जाता है।
- १.६. उत्तर पत्रिका में अंकन करते हुए पाया जाने वाला कोई भी परीक्षक १ वर्ष के लिए परीक्षक बनने से विवर्जित किया जाएगा। ऐसे विवर्जित किए गए परीक्षक का नाम परीक्षा खंड (एचक्यू) में रखना होगा।
- १.७. प्रत्येक परीक्षक को एक दिन में अधिकतम ५० और एक परीक्षा सत्र में अधिकतम १००० उत्तर पत्रिकाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि फैकल्टी की कमी या अन्य कोई कारणवश, विशेष परीक्षक द्वारा अधिक उत्तर पत्रिकाओं का मूल्यांकन किया जाना है, तो जोनल कोऑर्डिनेटर सीओई से विशेष अनुमोदन की मांग करेगा।
- १.८. सभी कार्यक्रमों की उत्तर पत्रिकाओं का मूल्यांकन किया जाना है और उसी के अंकों को ओएमआर शीट पर कैप्चर करना है। इन ओएमआर शीट को परिणाम प्रसंस्करण के लिए जोनल कोऑर्डिनेटर के माध्यम से परीक्षा अनुभाग (एचक्यू) को भेजा जाना है।
- १.९. यदि, एक परीक्षक एक छात्र द्वारा लिखे गए उत्तर के लिए अंक देने में विफल रहता है, तो उत्तर पत्रिका के पारिश्रमिक का भुगतान परीक्षक को नहीं किया जाएगा।
- १.१०. यदि, उपर्युक्त १.९ में उल्लिखित अनुसार १% से अधिक की गलतियों के लिए फैकल्टी द्वारा मूल्यांकन किए गए उत्तर पत्रिकाओं में से एक फैकल्टी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो उसे अन्य सभी पेपरों के लिए भी कोई भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऐसी फैकल्टी को अगले दो अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए किसी भी उत्तर पत्रिकाओं का मूल्यांकन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- १.११. कुलपति के अनुमोदन के साथ परीक्षा के परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे।

## २. मूल्यांकन प्रक्रिया (ऑनलाइन मूल्यांकन की स्थिति में)

- २.१ यूजी और पीजी कार्यक्रमों के लिए एक मूल्यांकन किया जाएगा।
- २.२ आईएमयू एचक्यू द्वारा सौंपे गए संबंधित क्षेत्र में उत्तर पत्रिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।
- २.३ संबंधित ज़ोन मूल्यांकन को सौंपी गई संबंधित आईएमयू कैंपस और संबद्ध संस्थानों की उत्तर पत्रिकाओं को नियुक्त जोनल कोऑर्डिनेटर द्वारा सेवा प्रदाता को स्कैनिंग के लिए सौंपा जाएगा और सेवा प्रदाता द्वारा विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कंप्यूटर में मूल्यांकन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- २.४ परीक्षक ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए नियत किए गए कंप्यूटर में सेवा प्रदाता द्वारा इंगित स्थानों में प्रत्येक उत्तर के लिए अंक प्रदान करेगा।
- २.५ प्रत्येक परीक्षक प्रति सेमेस्टर में प्रति दिन अधिकतम ५० उत्तर पत्रिकाओं और अधिकतम १००० उत्तर पत्रिकाओं का मूल्यांकन कर सकता है। फैकल्टी की कमी या अन्य कोई कारणवश, यदि विशेष मूल्यांकनकर्ता द्वारा अधिक उत्तर पत्रिकाओं का मूल्यांकन किया जाना है, तो जोनल कोऑर्डिनेटर परीक्षा नियंत्रक से विशेष अनुमोदन की मांग करेगा।
- २.६ यदि, उपर्युक्त २.५ में उल्लिखित अनुसार १% से अधिक की गलतियों के लिए uska/uski द्वारा मूल्यांकन किए गए उत्तर पत्रिकाओं में से एक फैकल्टी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो उसे अन्य सभी पेपरों के लिए भी कोई भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऐसी फैकल्टी को अगले दो अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए किसी भी उत्तर पत्रिकाओं का मूल्यांकन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- २.७ प्रत्येक विषय की उत्तर पत्रिकाओं की १/१००वीं की एक यादृच्छिक जाँच स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए की जाएगी और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन को समय-समय पर तैयार किए गए उपयुक्त तंत्र द्वारा संबोधित किया जाएगा और स्कूल बोर्डों को सूचित किया जाएगा।
- २.८ कुलपति के अनुमोदन के साथ परीक्षा के परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे।

### ३. फोटोकॉपी जारी करना (मैनअल मूल्यांकन की स्थिति में)

- ३.१ फंड ट्रांसफर के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक / ऑनलाइन माध्यम से या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य तरीके से उचित आर्डिनेंस में निर्धारित किये गए शुल्क के भुगतान पर, उत्तर पत्रिकाओं की फोटोकॉपी केवल फेल हुए उम्मीदवारों को जारी की जाएगी।
- ३.२ परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से ३ दिनों के भीतर आवेदन किया जाना चाहिए।
- ३.३ उत्तर पत्रिकाओं की फोटोकॉपी (हार्डकॉपी) संबंधित क्षेत्र से प्राप्त की जाएगी जहां मूल्यांकन किया गया था और संबंधित छात्रों को उत्तर पत्रिका वितरित करने के लिए संबंधित निदेशकों/प्राचार्यों को भेजा जाता है।

### ४. फोटोकॉपी जारी करना (ऑनलाइन मूल्यांकन की स्थिति में)

- ४.१ पैरा ३.१ से ३.२ तक उल्लिखित प्रक्रिया एक समान है।
- ४.२ छात्रों द्वारा मांगी गई उत्तर पत्रिकाओं की सॉफ्ट (डिजिटल) कॉपी छात्र पोर्टल में सक्षम की जाएगी, जो उत्तर पत्रिका देख सकते हैं। इस स्थिति में, उत्तर पत्रिका की हार्ड कॉपी वितरित नहीं की जाएगी।

### ५. पुनः मूल्यांकन आवेदन प्रक्रिया

- ५.१ अनुत्तीर्ण विषयों की उत्तर पत्रिकाओं के पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन पर केवल वर्तमान परीक्षा वर्ष (यानी, परीक्षा के आयोजन के बाद और परिणामों की घोषणा से पूर्व) के लिए विचार किया जाएगा। प्रैक्टिकल परीक्षाओं, फील्ड कार्य, आंतरिक मूल्यांकन, पेपर के बदले में प्रस्तुत की गई थीसिस आदि के लिए उत्तर पत्रिकाओं के पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ५.२ पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा।
- ५.३ जब तक अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, परिणाम के प्रकाशन की तारीख से १० दिनों के भीतर पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ५.४ निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
- ५.५ आर्डिनेंस के अनुसार उत्तर पत्रिकाओं के पुनः मूल्यांकन के लिए भेजा गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

### ६. पुनः मूल्यांकन के दिशानिर्देश

- ६.१ पुनः मूल्यांकन के लिए दिए गए पेपर का मूल्यांकन उसी परीक्षक द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जिसने पहला मूल्यांकन किया है।
- ६.२ पुनः मूल्यांकन के लिए दिए गए पेपर का किसी भी परीक्षक द्वारा दोबारा मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, जो उसी कैंपस / कॉलेज से संबंधित हो, जहां उम्मीदवार उस पेपर के लिए उपस्थित होने से पहले अध्ययन करता था, सिवाय के केवल एक कैंपस / कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
- ६.३ परीक्षक को पुनः मूल्यांकन के लिए प्रति सत्र २५ से अधिक पेपर नहीं दिए जाने चाहिए।
- ६.४ पुनः मूल्यांकन (दूसरे या तीसरे) के बाद, पुनः मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को अंतिम परिणाम के बावजूद रिजल्ट शीट में या तो पास या फेल अपलोड किया जाएगा और नवीनतम अंक को मार्क शीट में दर्शाया जाएगा।
- ६.५ वे उम्मीदवारों जिन्होंने या तो पुनः मूल्यांकन या पुनः गणना के लिए आवेदन किया था, उनकी मार्कशीट पुनः मूल्यांकन/पुनः गणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जारी की जाएगी।
- ६.६ यदि एक परीक्षक का कार्य पत्रिकाओं के २०% से अधिक में पुनः मूल्यांकन में अंकों की वृद्धि या कमी की ओर जाता है, तो उचित चैनल के माध्यम से संबंधित परीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और आगे की कार्रवाई के लिए उत्तर को कुलपति के सामने रखा जाएगा।
- ६.७ जहां पहले और दूसरे मूल्यांकन के बीच १५% से अधिक की विविधता है, तो पेपर को तीसरे मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा। अंतिम अंक तीन मूल्यांकनों में से सर्वोत्तम दो का औसत होगा।

- ६.८. पुनःमूल्यांकन से संबंधित सभी कार्यों को गोपनीय माना जाएगा और इसलिए अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ६.९. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की अनुमोदित दरों पर पुनःमूल्यांकन के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
- ६.१०. कैंपस के निदेशकों/ संबद्ध संस्थानों के प्राचार्यों को परीक्षा के नियंत्रक द्वारा आवंटित दिन और तिथि पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन (पुनः मूल्यांकन/पुनः गणना सहित) के लिए आवश्यक परीक्षक उपलब्ध कराने चाहिए।
- ६.११. आईएमयू परिसरों और संबद्ध संस्थानों की फैकल्टी जिन्होंने पिछले सेमेस्टर में एक विषय पढ़ाया है, उन्हें आईएमयू मुख्यालय द्वारा निर्धारित अनुसार बिना चूके मूल्यांकन कार्य (पुनःमूल्यांकन/ पुनः गणना सहित) में भाग लेना चाहिए। यदि कोई भी फैकल्टी मूल्यांकन (पुनःमूल्यांकन/ पुनः गणना सहित) के कार्य में भाग लेने में विफल रहता है, तो संबंधित फैकल्टी को तीन वर्ष के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा। यदि संस्थान पर्याप्त संख्या में फैकल्टी प्रदान करने में विफल रहता है, तो संस्थान की संबद्धता की निरंतरता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

### ७. पुनःगणना

- ७.१. ऑनलाइन मूल्यांकन की स्थिति में कोई पुनःगणना नहीं होती है।
- ७.२. उत्तर पत्रिकाओं की पुनःगणना के लिए आवेदन को प्रैक्टिकल परीक्षा, फिल्ड कार्य, आंतरिक मूल्यांकन, एक पेपर के बदले प्रस्तुत थीसिस के अलावा पूर्वस्नातक परीक्षा, स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए विचार किया जाएगा।
- ७.३. पुनः गणना के लिए आवेदन को निर्धारित प्रपत्र में करना होगा।
- ७.४. उत्तर पत्रिकाओं की पुनःगणना के लिए भेजा गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- ७.५. पुनःगणना से संबंधित सभी कार्यों को गोपनीय माना जाएगा और इसलिए अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ७.६. जब तक अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, परिणाम के प्रकाशन की तारीख से ५ दिनों के भीतर पुनः गणना के लिए आवेदन परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।
- ७.७. फैकल्टी द्वारा पुनःगणना की जाएगी जिसे परीक्षा नियंत्रक द्वारा नामांकित किया जाएगा।
- ७.८. पुनःगणना के बाद, पुनःगणना में प्राप्त अंकों को अंतिम परिणाम के बावजूद रिजल्ट शीट में या तो पास या फेल अपलोड किया जाएगा और नवीनतम अंक को मार्क शीट में दर्शाया जाएगा।

### ८. परीक्षा समिति

८.१ विश्वविद्यालय में विद्यालय-वार परीक्षा समिति होगी। समिति की संरचना निम्नलिखित दो श्रेणियों के अनुसार होगी:

**क] वे विद्यालय जहाँ आईएमयू परिसरों के अलावा संबद्ध संस्थानों में भी कार्यक्रम संचालित होते हैं:**

१.	कुलपति		अध्यक्ष
२.	आईएमयू परिसरों का एक निदेशक जहां कार्यक्रम पढ़ाया जाता है, कुलपति द्वारा नामित किया जाना है	१	सदस्य
३.	आईएमयू परिसरों में से एक के प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक विभाग से एक फैकल्टी/एचओडी, कुलपति द्वारा नामित किया जाना है	२	सदस्य
४.	रोटेशन में कुलपति द्वारा नामित किसी भी ५ संबद्ध संस्थानों से प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक विभाग के एचओडी	५	सदस्य
५.	परीक्षा नियंत्रक		सदस्य सचिव

**ख] वे विद्यालय जहां केवल आईएमयू में कार्यक्रम संचालित होते हैं**

१.	कुलपति		अध्यक्ष
२.	आईएमयू परिसरों का एक निदेशक जहां कार्यक्रम पढाया जाता है, कुलपति द्वारा नामित किया जाना है	१	सदस्य
३.	आईएमयू से प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक विभाग के एचओडी/ एचओडी आई/सी, जो कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा	१	सदस्य
४.	एक ही विद्यालय से कुलपति द्वारा कम से कम २ फैकल्टी नामित होंगे	२	सदस्य
५.	परीक्षा नियंत्रक		सदस्य सचिव

८.२ यह समिति दो वर्ष के लिए वैध है और सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हो सकते हैं।

८.३ सदस्यों के एक तिहाई सदस्य, समिति की बैठक के लिए कोरम बनाएंगे

८.४ इस समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) समिति समेकित परिणामों पर विचार और अनुमोदन करेगी और उनके संबंधित विद्यालय के परीक्षा परिणाम घोषित करने की व्यवस्था करेगी।
- (ख) इस तरह के अन्य कर्तव्यों और कार्यों जो अकादमिक परिषद द्वारा इसे सौंपा जा सकता है, बशर्ते कि परीक्षा समिति विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को उसके उपर्युक्त कोई भी या सभी अधिकारों को सौंप सकती है।"

**९. उत्तर पत्रिका की समीक्षा:**

- ९.१ छात्र (उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों) केवल छात्र पोर्टल में उत्तर पत्रिकाओं की समीक्षा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
- ९.२ पुनःमूल्यांकन परिणामों के प्रकाशन की तिथि से ५ दिनों के भीतर समीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
- ९.३ समीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क (अस्थायी आर्डिनंस के अनुसार) का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से या ऐसे अन्य तरीके में किया जाएगा जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- ९.४ उत्तर पत्रिकाओं की समीक्षा करने के लिए, अकादमिक परिषद तीन-सदस्य की समिति (विषयवार) का गठन करेगा, जिसमें कुलपति की सिफारिश के आधार पर आईएमयू के बाहर के कैंपस/संबद्ध संस्थान/किसी संस्थान के तीन विषय के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- ९.५ सीओई यह सुनिश्चित कर सकता है कि समिति को छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का पता नहीं लग्न चाहिए और जहां भी संभव हो, छात्र के समान परिसर/संस्थान से फैकल्टी को, पारदर्शी और स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए समिति का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए।
- ९.६ समिति छात्र की उत्तर पत्रिका की समीक्षा करेगी और अंकों में परिवर्तन पर की रिपोर्ट सीओई को प्रस्तुत करेगी
- (क) यदि एक छात्र जो मूल रूप से फेल हुआ है और समीक्षा के बाद पास अंक प्राप्त करता है, तो उसका अंतिम स्कोर समीक्षा समिति द्वारा दिए जाने वाले अंक होंगे।



(ख) यदि एक छात्र जो पहले ही उत्तीर्ण हो चुका है और समीक्षा के बाद अंकों में वृद्धि प्राप्त करता है, तो उसका अंतिम स्कोर समीक्षा समिति द्वारा दिए जाने वाले अंक होंगे।

(ग) उपरोक्त उल्लिखित (क) और (ख) के अलावा अन्य मामलों के लिए, अंतिम स्कोर समीक्षा समिति द्वारा दिए गए अंक होंगे, भले ही उसे समीक्षा में कम अंक प्राप्त हुए हों।

९.७ समीक्षा से संबंधित सभी कार्यों को गोपनीय माना जाएगा और इसलिए अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

१०. यह आर्डिनंस मूल्यांकन प्रक्रिया और पुनः मूल्यांकन के लिए कार्यपद्धति, पुनः गणना, उत्तर पत्रिकाओं की फोटोकॉपी जारी करना, ग्रेस अंकों और उत्तर पत्रिकाओं की समीक्षा के बारे में इस विषय पर के सभी पहले के आर्डिनंस को प्रतिस्थापित करेगा। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ध्यान दें: आधिकारिक राजपत्र सं. ३५० दिनांक १२.०९.२०१८ में प्रकाशित २०१५ का आर्डिनंस १५ और आधिकारिक राजपत्र सं. ३४५ दिनांक ३०.०९.२०१९ में प्रकाशित २०१९ का आर्डिनंस ०२ निरस्त किया जाएगा

### 2020 का आर्डिनंस 03

[ईसी 2020-54-18 दिनांक 09.07.2020 द्वारा संशोधित]

#### संबद्धता शुल्क को निर्धारित करता आर्डिनंस

(i) "प्रारंभिक (अस्थायी) संबद्धता शुल्क को नीचे दिए गए दरों पर एक पाठ्यक्रम के लिए संबद्धता के अनुदान के समय एक बार के शुल्क के रूप में एकत्र किया जाना चाहिए:

(क) डीएनएस पाठ्यक्रम के लिए जो बी.एस.सी. (नॉटिकल साइंस) के लिए अग्रणी है

छात्रों की स्वीकृत संख्या	प्रारंभिक संबद्धता शुल्क (रुपए में)
८० तक	२,००,०००
८१ - १६०	४,२५,०००
१६१ - २४०	६,७५,०००
२४१ और उससे अधिक	९,५०,०००

(ख) अन्य यूजी डिग्री पाठ्यक्रम के लिए (प्रति पाठ्यक्रम)

छात्रों की स्वीकृत संख्या	प्रारंभिक संबद्धता शुल्क (रुपए में)
४० तक	१,५०,०००
४१ - ८०	३,२५,०००
८१ - १२०	५,२५,०००
१२१ और उससे अधिक	७,५०,०००

(ग) पीजी पाठ्यक्रम के लिए (प्रति पाठ्यक्रम)

छात्रों की स्वीकृत संख्या	प्रारंभिक संबद्धता शुल्क (रुपए में)
२० तक	३,००,०००
२१-४०	६,००,०००

- (ii) अस्थायी संबद्धता शुरू में ३ वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी, और बाद में एक बार में ३ वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी। अस्थायी संबद्धता के विस्तारण/जारी रखने के समय हर ३ वर्ष में रु. ५०,००० (स्वीकृत संख्या के बावजूद) का एक अंतिम निरंतरता शुल्क होगा।
- (iii) ९ वर्ष के अंत में एक संबद्ध संस्थान स्थायी संबद्धता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होना चाहिए, लेकिन एक संबद्ध संस्थान को शीघ्रातिशीघ्र स्थायी संबद्धता तब मिल सकती है जब यह १० वर्ष पूरे करता है, जहाँ अवधि आईएमयू के लिए संस्थान की संबद्धता की तारीख से गिनी जाती है।
- (iv) स्थायी संबद्धता के लिए, संस्थान को सभी पाठ्यक्रमों (डीएनएस, यूजी, पीजी) के लिए प्रति पाठ्यक्रम रु. १०,००,००० का एक अंतिम स्थायी संबद्धता शुल्क का भुगतान करना होगा। जब किसी संस्थान को स्थायी संबद्धता मिलती है, तो आगे कोई निरंतरता शुल्क नहीं होगा।
- (v) स्थायी संबद्धता प्राप्त करने के बाद ही एक संबद्ध संस्थान स्वायत्त स्थिति के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।
- (vi) इस आर्डिनंस के तहत संशोधित शुल्क संबंधित संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने की तिथि से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। "
- (vii) इस आर्डिनंस में उल्लिखित शुल्क में जीएसटी शामिल नहीं है और इसलिए समय-समय पर संशोधित होते, जीएसटी अधिनियम २०१७, के अनुसार लागू जीएसटी लगाया जाएगा।

ध्यान दें: सरकारी राजपत्र सं. ३५० दिनांक १२.०९.२०१८ में प्रकाशित किया गया २०१८ का आर्डिनंस २४ निरस्त किया जाएगा।

#### 2020 का आर्डिनंस 04

[ईसी 2020-54-21 दिनांक 09.07.2020 द्वारा संशोधित ]

**"परीक्षा, कन्वोकेशन और विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए शुल्क और पारिश्रमिक", को निर्धारित करता आर्डिनंस**

**"परीक्षाओं, कन्वोकेशन और विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए शुल्क और पारिश्रमिक**

क्र.सं.	विवरण	शुल्क. रु.
<b>क) सीईटी/सीआरटी से संबंधित शुल्क</b>		
(i)	ऑनलाइन आवेदन का शुल्क (सीईटी / गैर-सीईटी) यूजी/पीजी/पी.एच.डी. कार्यक्रम - सामान्य छात्रों के लिए:	रु. १,०००
(ii)	ऑनलाइन आवेदन का शुल्क (सीईटी / गैर-सीईटी) यूजी/पीजी, पी.एच.डी. कार्यक्रम - एससी / एसटी छात्रों के लिए:	रु. ७००

(iii)	ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण शुल्क (बी.बी.ए.) - सामान्य छात्र	रु. २००
(iv)	ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण शुल्क (बी.बी.ए.) - एससी/एसटी छात्र	रु. १४०
(v)	ऑनलाइन आवेदन का शुल्क- (सीआरटी/ गैर सीआरटी) सभी पद की भर्तियों के लिए- सामान्य उम्मीदवार	रु. १,०००
(vi)	ऑनलाइन आवेदन का शुल्क- (सीआरटी/ गैर सीआरटी) एससी / एसटी उम्मीदवारों के लिए सभी पद की भर्तियों के लिए	रु. ७००
<b>ख) परीक्षा और अन्य संबंधित शुल्क</b>		
<b>पूर्वस्नातक/स्नातकोत्तर/ डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स</b> (सेमेस्टर और गैर-सेमेस्टर प्रणाली)		
(i)	प्रत्येक लिखित पेपर/प्राैक्टिकल /प्रोजेक्ट/ शोध प्रबंध / शेष सहित मौखिक परीक्षा शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ से प्रभावी	रु. ५००
(ii)	बी.एस.सी. (एप्लाइड नॉटिकल साइंस-डीएलपी) के लिए ३रे, ४थे और ५वें सेमेस्टर के लिए प्रत्येक प्रयास - सितंबर २०२० से प्रभावी।	प्रति सेमेस्टर रु. ४०००
<b>२) पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों</b>		
(i)	पूर्णकालिक पी.एच.डी. स्कॉलर के लिए वार्षिक शुल्क	
	पहले ३ वर्ष के लिए	रु. ३०,०००
	डॉक्टरेट समिति द्वारा ४थे और ५वें वर्ष में विस्तारण के लिए	रु. ४०,०००
	कुलपति द्वारा ६ठे वर्ष में विस्तारण के लिए	रु. ५०,०००
(ii)	अंशकालिक पी.एच.डी. स्कॉलर के लिए वार्षिक शुल्क	
	पहले ४ वर्ष के लिए	रु. ६०,०००
	डॉक्टरेट समिति द्वारा ५वें और ६ठे वर्ष में विस्तारण के लिए	रु. ७५,०००
	कुलपति द्वारा ७वें वर्ष में विस्तारण के लिए	रु. १,००,०००
(iii)	प्री-सिनोप्सिस सेमिनार प्रस्तुति का शुल्क	रु. १०,०००
(iv)	सिनॉप्सिस सबमिशन का शुल्क	रु. ०,०००.
(v)	थीसिस सबमिशन का शुल्क	रु. ३०,०००.
(vi)	मौखिक परीक्षा का शुल्क	रु. २०,०००.
एक पी.एच.डी. उम्मीदवार जो अधिकतम स्वीकार्य अवधि के भीतर अपना थीसिस प्रस्तुत करने में विफल रहता है और जिसे फिर से पंजीकृत करना आवश्यक है उसे एक बार फिर से (i) से सभी शुल्क का भुगतान करना होगा।		
<b>ग) परीक्षाओं से संबंधित अन्य शुल्क</b>		
(i)	उत्तर पत्रिका की फोटो कॉपी प्राप्त करने के लिए	रु. ८०
(ii)	किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा (प्रत्येक पेपर के लिए) के लिए उम्मीदवार के प्रत्येक पेपर में अंकों के योग की जांच के लिए - पुनः गणना	रु. २५०
(iii)	प्रति पेपर पुनर्मूल्यांकन शुल्क	रु. ५००
(iv)	प्रति पेपर समीक्षा के लिए शुल्क	रु. ५०००
(v)	प्रत्येक परीक्षा में प्रत्येक उपस्थिति के लिए अंकों का विवरण जारी करने के लिए	रु. १५०
(vi)	प्रत्येक परीक्षा में प्रत्येक उपस्थिति के लिए अंकों का डुप्लिकेट विवरण जारी करने के लिए	[प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए रु. २०० + रु. १०० खोज शुल्क]
(vii)	अंकों का समेकित विवरण	रु. ५००

(viii)	प्रोविजनल प्रमाणपत्र	रु. २५०
(ix)	डुप्लीकेट प्रोविजनल प्रमाणपत्र	रु. ५००
(x)	प्रतिलेख शुल्क	
	- एक प्रतिपत्रिका	रु. १०००
	- प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिपत्रिका	रु. ५००
<b>घ) कॉन्वोकेशन एवं अन्य संबंधित शुल्क</b>		
(i)	पूर्वस्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री	
	- स्वयं/ अनुपस्थित में	रु. १०००
(ii)	पी.एच.डी.	
	- स्वयं/ अनुपस्थित में	रु. २,०००
(iii)	कोई अन्य डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र	
	- स्वयं/ अनुपस्थित में	रु. ५००
(iv)	डुप्लीकेट डिग्री	[प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए रु. १००० + रु. १०० खोज शुल्क]
<b>ङ) प्रवेश पंजीकरण / काउन्सलिंग शुल्क और कार्यक्रम शुल्क / एक बार का पंजीकरण शुल्क</b>		
(i)	एक बार का प्रवेश पंजीकरण / काउन्सलिंग शुल्क, जो आईएमयू परिसरों के सभी नए छात्रों के साथ-साथ मैनेजमेंट/प्रायोजित उम्मीदवारों सहित संबद्ध संस्थानों द्वारा प्रवेश के समय देय हैं, जिन्हें सीधे प्रवेश द्वारा २२ वर्ष में दाखिला मिलता है, और पीएचडी उम्मीदवारों। कोई भी उम्मीदवार, जिसे आईएमयू के काउन्सलिंग के माध्यम से किसी भी आईएमयू परिसर में किसी भी कार्यक्रम में सीट आवंटित की जाती है, वह काउन्सलिंग/ प्रवेश पंजीकरण शुल्क के रिफंड के लिए पात्र नहीं है। ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसे आईएमयू परिसरों में किसी भी कार्यक्रम में सीट आवंटित नहीं की गई है, प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए रु. १०००/- की राशि प्रतिधारित की जाएगी और केवल रु. ९०००/- की शेष राशि वापस की जाएगी।	रु. १०,०००
(ii)	कार्यक्रम शुल्क, जो आईएमयू परिसरों के सभी डिप्लोमा, यूजी और पीजी छात्रों के साथ-साथ मैनेजमेंट/प्रायोजित उम्मीदवारों सहित संबद्ध संस्थानों द्वारा प्रत्येक वर्ष देय हैं और वे जिन्हें सीधे प्रवेश द्वारा २२ वर्ष में दाखिला मिलता है।	रु. २५,०००.
(iii)	बी.एससी (एप्लाइड नॉटिकल साइंस - डीएलपी) के लिए एक बार का पुनः पंजीकरण शुल्क-सितंबर २०२० से प्रभावी।	रु. ३००००
<b>च) अन्य शुल्क</b>		
(i)	हाजिरी की कमी के लिए माफ़ी शुल्क	८०% के बराबर या उससे अधिक लेकिन ८५% से कम उपस्थिति बनाये रखते छात्रों के लिए रु. ५,००० और ७५% के बराबर या उससे अधिक, लेकिन ८०% से कम उपस्थिति बनाये रखते छात्रों के लिए रु. १०,०००।
(ii)	ब्रेक-इन-स्टडीज के लिए पुनः प्रवेश शुल्क	१ वर्ष के ब्रेक के लिए रु. २०००; २ वर्ष के ब्रेक के लिए रु. ५०००

		और ३ वर्ष के ब्रेक के लिए रु. १०००
(iii)	विश्वविद्यालय के अभिलेखों में और प्रमाणपत्र / डिप्लोमा में उम्मीदवारों के नाम या जन्मतिथि को बदलने के लिए शुल्क	रु. ५००
(iv)	प्रवासन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए	रु. ५००
(v)	डुप्लिकेट प्रवासन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए	रु. १०००
(vi)	प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए अनुरोध	रु. १०००
<b>छ) प्रश्न पत्र सेटर और संबंधित गतिविधियों के लिए पारिश्रमिक</b>		
(i)	प्रश्न पत्र का सेटिंग	
	कॉमन रिक्तमेट टेस्ट (सीआरटी)	रु. ५,०००
	कॉमन एंट्रेस टेस्ट (सीईटी)	रु. २,५००
	विश्वविद्यालय की परीक्षाएं	रु. १,५००
(ii)	उत्तर समाधान की तैयारी	
	कॉमन रिक्तमेट टेस्ट (सीआरटी)	रु. ५,०००
	कॉमन एंट्रेस टेस्ट (सीईटी)	रु. २,५००
	विश्वविद्यालय की परीक्षाएं	रु. १,५००
<b>ज) परीक्षा झूटी के लिए पारिश्रमिक</b>		
(i)	फ्लाइंग स्क्वायड	प्रति दिन रु. १,५००
(ii)	मुख्य अधीक्षक	प्रति दिन रु. १५००*
(iii)	प्रेक्षक [समूह ए]	प्रति दिन रु. १५००*
(iv)	प्रेक्षक [समूह बी और सी]	प्रति दिन रु. १२५०*
(v)	अन्वीक्षण / हॉल सुपरिंटेंडेंट (प्रति सत्र) - प्रत्येक २५ छात्रों के लिए।	प्रति सत्र रु. ५००
(vi)	सहायक पत्रिकाक - प्रत्येक १०० छात्रों के लिए।	प्रति दिन रु. २००
(vii)	परिचारक - प्रत्येक १०० छात्रों के लिए।	प्रति दिन रु. १००
(viii)	प्राैक्टिकल परीक्षा के मूल्यांकन के लिए पारिश्रमिक (रिकॉर्ड और मौखिक)।	प्रति छात्र रु. १५ - प्रत्येक आंतरिक और बाहरी परीक्षकों के लिए।
(ix)	यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए थीसिस / शोध प्रबंध और मौखिक परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को पारिश्रमिक।	शोध प्रबंध के लिए प्रति छात्र रु. १५० और मौखिक परीक्षा के लिए प्रति छात्र रु. ५० - प्रत्येक आंतरिक और बाहरी परीक्षकों के लिए।
<b>झ) मूल्यांकन और संबंधित झूटी के लिए पारिश्रमिक</b>		
(i)	समन्वयक/अध्यक्ष	प्रति दिन रु. १००० (प्रति सेमेस्टर अधिकतम रु. ५००० के अधीन)।
(ii)	मूल्यांकन का पारिश्रमिक	प्रति उत्तर पत्रिका रु. ५० (प्रति सत्र २५ उत्तर पत्रिकाओं की अधिकतम सीमा के अधीन या प्रति दिन ५० उत्तर पत्रिकाएं)।
(iii)	सहायक क्लेरिकल स्टाफ	प्रति दिन रु. २००।
(iv)	परिचारक	प्रति दिन रु. १००।

ट) पीएचडी कार्यक्रमों के लिए प्रवृत्त गाइड, कॉ-गाइड, आईएमयू फैकल्टी सदस्यों, विशेषज्ञों और परीक्षकों को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक		
(१)	डॉक्टरेट समिति	
(i)	गाइड (भारतीय)	सिनोप्सिस प्रस्तुत करने के बाद रु.५,००० का भुगतान; मौखिक परीक्षा पूरी होने के बाद अधिक रु.५,०००।
(ii)	कॉ-गाइड (भारतीय)	सिनोप्सिस प्रस्तुत करने के बाद रु.४,००० का भुगतान; मौखिक परीक्षा पूरी होने के बाद अधिक रु.४,०००।
(iii)	गाइड या कॉ-गाइड (विदेशी)	परस्पर सहमति अनुसार।
(iv)	डॉक्टरल समिति पर आईएमयू फैकल्टी का सदस्य (गाइड या कॉ-गाइड के अलावा)	सिनोप्सिस प्रस्तुत करने के बाद रु.३,०००; मौखिक परीक्षा पूरी होने के बाद अधिक रु.३,०००।
(v)	डॉक्टरेट समिति पर आईएमयू के बाहर के विशेषज्ञ	प्रति दिन रु. २,५००
(२)	थिसिस का न्यायिक निर्णय	
(i)	बाहरी परीक्षक (भारतीय)	रु. ५,०००.
(ii)	बाहरी परीक्षक (विदेशी)	यूएस \$७५०.
(३)	मौखिक परीक्षा के परीक्षक (भारतीय)	रु. २,५००

(\* ) यदि एक विशेष परीक्षा केंद्र में उपस्थित होते छात्रों की संख्या १० से कम है, तो देय पारिश्रमिक ५०% से कम हो जाएगा।

इस आर्डिनंस में उल्लिखित शुल्क में जीएसटी शामिल नहीं हैं, इसलिए समय-समय पर संशोधित जीएसटी अधिनियम के अनुसार लागू जीएसटी को जोड़ा जाएगा।

इस आर्डिनंस में उल्लिखित शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जब तक कि व्यक्तिगत रूप से उल्लेख न किया जाए ध्यान दें: सरकारी राजपत्र सं. २७३ दिनांक १९.०७.२०१८ में प्रकाशित किया गया २०१५ का आर्डिनंस १९ निरस्त किया जाएगा।

### 2020 का आर्डिनंस 5

[ईसी 2020-57-06 दिनांक 18.12.2020]

#### कुलसचिव के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद-नाम	कुलसचिव
2.	पद-संख्या	1
3.	वर्गीकरण	समूह ए
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी के तहत स्तर 14 [पूर्व-संशोधित पीबी -4: जीपी 10000]
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	आयु 57 वर्ष से अधिक नहीं। [भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी।]

7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<p><b>श्रेणी 1</b></p> <p>क) शैक्षणिक योग्यता- आवश्यक: न्यूनतम <b>55%</b> अंकों के साथ मास्टर डिग्री या बिंदुमान में एक समकक्ष ग्रेड जहां ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है; वांछनीय: प्रबंधन / कानून में डिग्री या पीएचडी डिग्री [तथा]</p> <p>ख) शैक्षणिक स्तर 11 में सहायक आचार्य के रूप में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव और शैक्षणिक स्तर 12 में सेवा के 8 वर्ष या अधिक वर्ष और इससे अधिक में शैक्षिक प्रशासन में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव के साथ सह - आचार्य का अनुभव शामिल है। [या] अनुसंधान प्रतिष्ठान और/या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनात्मक अनुभव [या] किसी भी संगठन में 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, जिनमें से न्यूनतम 8 वर्ष उप कुलसचिव या समकक्ष पद [वेतन स्तर 12 और उससे अधिक] के रूप में होंगे</p> <p><b>श्रेणी 2</b></p> <p>(क) मास्टर (फोरन गोइंग) / एमईओ वर्ग I (मोटर) योग्यता प्रमाण पत्र; (ख) निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक या अधिक में समुद्री उद्योग में न्यूनतम पंद्रह वर्षों का अनुभव: (i) प्रबंधन स्तर पर सेलिंग अनुभव; (ii) किसी मान्यता प्राप्त समुद्री संस्थान में समुद्री विज्ञान या समुद्री यांत्रिकी का अध्यापन देना; (iii) जहाजरानी महानिदेशालय या अन्य मान्यता प्राप्त वर्गीकरण समिति में समुद्री या यांत्रिकी सर्वेक्षक (iv) किसी भी प्रतिष्ठित जहाज-मालिक या जहाज-प्रबंधन कंपनी में तकनीकी अधीक्षक। (v) समुद्री क्षेत्र में किसी भी संगठन में वरिष्ठ स्तर पर प्रबंधन / प्रशासनिक अनुभव।</p>
8.	क्या संस्थापक और प्रतिनियुक्त के मामले में सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता लागू होगी?	प्रतिनियुक्ति आयु - हाँ। शैक्षणिक योग्यताएँ: हाँ।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागु नहीं
10.	भर्ती पद्धति	साक्षात्कार के माध्यम से प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती। बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर, उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
11.	यदि एक चयन समिति मौजूद है, तो इसकी रचना क्या है?	विधान 21 के अनुसार, चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) अध्यक्ष के रूप में कुलपति। (ii) उपकुलपति (iii) आगंतुक का नामांकित व्यक्ति

		(iv) इसके द्वारा नामित कार्यकारी परिषद के दो सदस्य। (v) एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है और कार्यकारी परिषद द्वारा नामित होगा। (vi) न्यायालय का एक नामांकित व्यक्ति
12.	टिप्पणियों	(i) कुलसचिव की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और एक और कार्यकाल (नियत चयन प्रक्रिया के प्रेक्षण के बाद) के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। (ii) सेवानिवृत्ति की आयु: सीधी भर्तियों के लिए 62 वर्ष होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए, प्रायोजक विभाग/एजेंसी की प्रासंगिक आयु अधिकतम 62 वर्ष के अधीन होगी। (iii) पात्रता की शर्तों का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। (iv) शैक्षणिक योग्यता वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से होनी चाहिए। (v) योग्यता और अनुभव की प्रासंगिकता के बारे में आईएमयू का निर्णय अंतिम होगा। (vi) सीधी भर्ती के तहत चुने गए आंतरिक उम्मीदवार निर्दिष्ट कार्यकाल पूरा होने पर अपने मूल पद पर लौटेंगे।

ध्यान दें: सरकारी राजपत्र सं. 183 दिनांक 19.07.2018 में प्रकाशित किया गया 2015 का आर्डिनंस 34 [कुलसचिव के पद के लिए भर्ती नियम] निरस्त किया जाएगा।

### 2020 का आर्डिनंस 6

[ईसी 2020-57-06 दिनांक 18.12.2020]

#### वित्त अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद-नाम	वित्त अधिकारी
2.	पद-संख्या	1
3.	वर्गीकरण	समूह ए
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी के तहत स्तर 14 [पूर्व-संशोधित पीबी -4: जीपी 10000]
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	आयु 57 वर्ष से अधिक नहीं। [भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी।]
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	श्रेणी 1: क) शैक्षिक योग्यता आवश्यक: न्यूनतम <b>55%</b> अंकों के साथ मास्टर डिग्री या बिंदुमान में एक समान ग्रेड जहां ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। वांछनीय: सीए/ आईसीडब्ल्यूए के साथ स्नातक डिग्री [या] न्यूनतम <b>55%</b> अंक या मास्टर ऑफ कॉमर्स डिग्री में इसके समकक्ष ग्रेड। [तथा] ख) 7वें सीपीसी वेतन स्तर 10 के तहत न्यूनतम <b>15</b> वर्ष का अनुभव या उससे अधिक,



		जिसमें से कम से कम 8 वर्ष का अनुभव किसी भी संगठन में 7,600 रुपये या अधिक या समकक्ष के पदक्रम वेतन में होगा। श्रेणी 2: आवश्यक: (i) वित्त / लेखा / बजट में समूह ए अधिकारी के रूप में कम से कम 12 वर्ष के अनुभव के साथ केंद्र / राज्य सरकारों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी।
8.	क्या संस्थापक और प्रतिनियुक्त के मामले में सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता लागू होगी?	प्रतिनियुक्ति (केवल सेवारत कर्मचारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन करेंगे) आयु - हाँ। शैक्षणिक योग्यताएँ: हाँ।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10.	भर्ती पद्धति	साक्षात्कार के माध्यम से प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती। बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर, उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
11.	यदि एक चयन समिति मौजूद है, तो इसकी रचना क्या है?	विधान 21 के अनुसार, चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) अध्यक्ष के रूप में कुलपति। (ii) उपकुलपति (iii) आगंतुक का नामांकित व्यक्ति (iv) इसके द्वारा नामित कार्यकारी परिषद के दो सदस्य। (v) एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है और कार्यकारी परिषद द्वारा नामित होगा।
12.	टिप्पणियों	(i) वित्त अधिकारी की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और एक और कार्यकाल (नियत चयन प्रक्रिया के प्रेक्षण के बाद) के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। (ii) सेवानिवृत्ति की आयु: सीधी भर्तियों के लिए 62 वर्ष होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए, प्रायोजक विभाग/एजेंसी की प्रासंगिक आयु अधिकतम 62 वर्ष के अधीन होगी। (iii) पात्रता की शर्तों का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। (iv) शैक्षणिक योग्यता वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से होनी चाहिए। (v) योग्यता और अनुभव की प्रासंगिकता के बारे में आईएमयू का निर्णय अंतिम होगा। (vi) सीधी भर्ती के तहत चुने गए आंतरिक उम्मीदवार निर्दिष्ट कार्यकाल पूरा होने पर अपने मूल पद पर लौटेंगे।

ध्यान दें: सरकारी राजपत्र सं. 305 दिनांक 03.09.2015 में प्रकाशित किया गया 2015 का आर्डिनेंस 13 [वित्त अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम] निरस्त किया जाएगा।

**2020 का आर्डिनंस 7****[ईसी 2020-57-06 दिनांक 18.12.2020]****परीक्षा नियंत्रक के पद के लिए भर्ती नियम**

1.	पदनाम-	परीक्षा नियंत्रक
2.	पदसंख्या-	1
3.	वर्गीकरण	समूह ए
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी के तहत स्तर 14 [पूर्व-संशोधित पीबी -4: जीपी 10000]
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	आयु 57 वर्ष से अधिक नहीं। [भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी।]
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	<p><b>श्रेणी 1:</b></p> <p>क) शैक्षणिक योग्यता- आवश्यक: न्यूनतम <b>55%</b> अंकों के साथ मास्टर डिग्री या बिंदुमान में समान ग्रेड जहां ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है; वांछनीय: प्रबंधन/लॉ में डिग्री या पीएचडी डिग्री [तथा]</p> <p>ख) शैक्षणिक स्तर <b>11</b> में सहायक आचार्य के रूप में न्यूनतम <b>15</b> वर्ष का अनुभव और शैक्षणिक स्तर <b>12</b> में सेवा के <b>8</b> वर्ष या अधिक वर्ष और इससे अधिक में शैक्षिक प्रशासन में न्यूनतम <b>3</b> वर्ष के अनुभव के साथ सह - आचार्य का अनुभव शामिल है। [या] अनुसंधान प्रतिष्ठान और/या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनात्मक अनुभव [या] किसी भी संगठन में <b>15</b> वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, जिनमें से न्यूनतम <b>8</b> वर्ष उप कुलसचिव या समकक्ष पद [वेतन स्तर <b>12</b> और उससे अधिक] के रूप में होंगे</p> <p><b>श्रेणी 2</b></p> <p>(क) मास्टर (फोरन गोइंग) / एमईओ कक्षा I (मोटर) योग्यता प्रमाण पत्र; (ख) लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन के अर्थ में प्रबंधन स्तर पर न्यूनतम दो वर्षों का सेलिंग अनुभव; तथा (ग) निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक या अधिक में समुद्री उद्योग में न्यूनतम पंद्रह वर्षों का अनुभव: (i) प्रबंधन स्तर पर सेलिंग अनुभव; (ii) किसी मान्यता प्राप्त समुद्री संस्थान में समुद्री विज्ञान या समुद्री यांत्रिकी का अध्यापन देना; (iii) जहाजरानी महानिदेशालय या अन्य मान्यता प्राप्त वर्गीकरण समिति में समुद्री या यांत्रिकी सर्वेक्षक</p>

		(iv) किसी भी प्रतिष्ठित जहाज-मालिक या जहाज-प्रबंधन कंपनी में तकनीकी अधीक्षक। (v) समुद्री क्षेत्र में किसी भी संगठन में वरिष्ठ स्तर पर प्रबंधन / प्रशासनिक अनुभव।
8.	क्या संस्थापक और प्रतिनियुक्त के मामले में सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता लागू होगी?	प्रतिनियुक्त आयु - हाँ। शैक्षणिक योग्यताएँ: हाँ।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं होता
10.	भर्ती पद्धति	साक्षात्कार के माध्यम से प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती। बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर, उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
11.	यदि एक चयन समिति मौजूद है, तो इसकी रचना क्या है?	विधान 21 के अनुसार, चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) अध्यक्ष के रूप में कुलपति। (ii) उपकुलपति (iii) आगंतुक का नामांकित व्यक्ति (iv) इसके द्वारा नामित कार्यकारी परिषद के दो सदस्य। (v) एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है और कार्यकारी परिषद द्वारा नामित होगा।
12.	टिप्पणियों	(i) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और एक और कार्यकाल (नियत चयन प्रक्रिया के प्रेक्षण के बाद) के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। (ii) सेवानिवृत्ति की आयु: प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए 62 वर्ष होगी। प्रतिनियुक्त के लिए, प्रायोजक विभाग/एजेंसी की प्रासंगिक आयु अधिकतम 62 वर्ष के अधीन होगी। (iii) पात्रता की शर्तों का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। (iv) शैक्षणिक योग्यता वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से होनी चाहिए। (v) योग्यता और अनुभव की प्रासंगिकता के बारे में आईएमयू का निर्णय अंतिम होगा। (vi) सीधी भर्ती के तहत चुने गए आंतरिक उम्मीदवार निर्दिष्ट कार्यकाल पूरा होने पर अपने मूल पद पर लौटेंगे।

ध्यान दें: सरकारी राजपत्र सं. 305 दिनांक 03.09.2015 में प्रकाशित किया गया 2015 का आर्डिनेंस 35 [परीक्षा नियंत्रक के पद के लिए भर्ती नियम] निरस्त किया जाएगा।

के सरवनन, कुलसचिव (प्रभारी)  
[विज्ञापन-III/4/असा./118/2021-22]

**INDIAN MARITIME UNIVERSITY****NOTIFICATION**

Chennai, the 21st June, 2021

**No. IMU/HQ/ADM/Notification/2021/01**—In exercise of the powers conferred by Section 47 (1) of the Indian Maritime University Act, 2008 (22 of 2008), the following Notifications are published for general information:

S.No	Statute/ Ordinance/ Notification	Description	Executive Council Resolution
1	Ordinance 06 of 2017	Ordinance on the Bio Metric Attendance System	EC 2020-56-09 dated 06.10.2020
2	Ordinance 01 of 2020	Ordinance prescribing the Minimum Eligibility Criteria for admissions to the various programmes in IMU	EC-2020-54-09 dated 09.07.2020 and EC-2020-56-01 dated 6.10.2020.
3	Ordinance 02 of 2020	“Ordinance prescribing Evaluation Process, procedure for Re-evaluation, Re-Totalling, Issue of Photocopy of Answer Scripts, Examination Committee and Review of Answer Scripts for IMU’s Programmes	EC-2020-54-10 dated 09.07.2020.
4	Ordinance 03 of 2020	Ordinance prescribing the Affiliation Fees	EC-2020-54-18 dated 09.07.2020.
5	Ordinance 04 of 2020	Fees and Remunerations for Examinations, Convocation and various other purposes	EC 2020-54-21 dated 09.07.2020
6	Ordinance 05 of 2020	Recruitment Rules for the post of Registrar	EC 2020-57-06 dated 18.12.2020
7	Ordinance 06 of 2020	Recruitment Rules for the post of Finance Officer	EC 2020-57-06 dated 18.12.2020
8	Ordinance 07 of 2020	Recruitment Rules for the post of Controller of Examinations	EC 2020-57-06 dated 18.12.2020

**Note:** In case of discrepancy between English and Hindi version of this document, the English version shall prevail.

**Ordinance 06 of 2017**

[EC 2016-37-19 dated 22.12.2016 and EC 2020-56-09 dated 06.10.2020]

**Ordinance on the Bio Metric Attendance System**

*Note: The Ordinance 06 of 2017 published in the Official Gazette No.183 dated 03.05.2017 shall be repealed.*

**Ordinance 01 of 2020**

[EC-2020-54-09 dated 09.07.2020]

**“Ordinance prescribing the Minimum Eligibility Criteria for admissions to the various programmes in IMU”**

This Ordinance lays down the minimum eligibility criteria for admissions to the Under Graduate and Post Graduate programmes of IMU. The following programmes are offered by the IMU:

**(i) Under Graduate programmes**

1. 4-Year B. Tech (Marine Engineering)
2. 3-Year B.Sc (Nautical Science)
3. 4-Year B. Tech (Naval Architecture & Ocean Engineering)
4. 3-Year B.Sc (Ship Building & Repair) –

(This Programme is being conducted only in an Affiliated Institute).

5. 3-Year BBA (Logistics, Retailing and E-Commerce)
6. 1-Year Diploma in Nautical Science (DNS) leading to B.Sc. (Applied Nautical Science)

Note: The admissions to B.Sc. Maritime Science programme is stopped from the AY 2018-19.

**Lateral entry Admissions to 2<sup>nd</sup> Year**

1. 2<sup>nd</sup> Year B.Tech (Marine Engineering)
2. 2<sup>nd</sup> Year B.Tech (Naval Architecture & Ocean Engineering)
3. 2<sup>nd</sup> Year B.Sc (Nautical Science)

**(ii) Post Graduate programmes**

1. 2-Year M.Tech (Marine Engineering and Management)
2. 2-Year M.Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering)
3. 2-Year M.Tech (Dredging and Harbour Engineering)
4. 2-Year M. Sc (Commercial Shipping and Logistics)
5. 2-Year MBA (International Transportation and Logistics Management)
6. 2-Year MBA (Port and Shipping Management)

**(iii) Post Graduate Diploma programmes**

1-Year Post Graduate Diploma in Marine Engineering (PGDME).

**(iv) Research Programmes**

- (a) M.S (by Research) (Please refer Ordinance 31 of 2018 for eligibility criteria)
- (b) Ph.D. (Please refer Ordinance 30 of 2018 for eligibility criteria)

The Minimum Eligibility Criteria for admissions to the above mentioned programmes [Sl.No. (i) to (iii)] are given below:

<b>(i) <u>Under Graduate programmes</u></b>		
<b>A. 4-Year B.Tech (Marine Engineering)</b>		
(i)	Eligibility	10+2/equivalent (PCM-60% and minimum of 50% marks in English subject in 10th or 12th Examination).
(ii)	Age Criteria	Minimum age : 17years <b>Maximum age:</b> <b>For Male : Gen-25 years, OBC(NCL)-28 years, SC/ST-30 years</b> <b>For Female: Gen-27 years, OBC(NCL)-30 years, SC/ST-32 years.</b>  The <b>reference date for calculation of the age</b> will be from the date of commencement of the Academic Session
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English Marks.  Relaxation of 5% in English marks will be applicable to candidates who are native of the Lakshadweep and Andaman & Nicobar islands and belongs to their Scheduled Tribes and who & both of whose parents were born in those islands & belong to the Scheduled Tribes of those islands
(iv)	Eligibility -Medical	<b><u>Physical Fitness</u></b> <b>Candidates seeking admission to these Marine Programmes must be medically fit including eye sight and hearing as prescribed in the Merchant Shipping (Medical Examination) Rules, 2000, as amended.</b> At the time of admission, candidates will be required to produce certificate of medical fitness issued by doctors approved by the Directorate General of Shipping, Mumbai.

		<p><b><u>Eye sight :</u></b></p> <p>There shall be no evidence of any morbid condition of either eye or of the lids of either eye which may be liable to risk of aggravation or recurrence. Candidates must possess good binocular vision (Fusion faculty and full field of vision in both eyes). Movement of the eyeballs must be full in all directions and the pupils should react normally to light and accommodation. Normal colour vision shall be tested by Ishihara test chart. Distance Vision unaided 0.5*(6/12) in each eye or 0.67*(6/9) in better eye and 0.33*(6/18) in other eye.</p>
<b>B. 3-Year B.Sc (Nautical Science)</b>		
(i)	Eligibility	10+2/equivalent (PCM-60%) with minimum of 50% marks in English subject in 10th/12 <sup>th</sup> Examination.
(ii)	Age Criteria	<p>Minimum age : 17years</p> <p><b>Maximum age:</b></p> <p><b>For Male : Gen-25 years, OBC(NCL)-28 years, SC/ST-30 years</b></p> <p><b>For Female: Gen-27 years, OBC(NCL)-30 years, SC/ST-32 years.</b></p> <p>The <b>reference date for calculation of the age</b> will be from the date of commencement of the Academic Session</p>
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	<p>There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English Marks.</p> <p>Relaxation of 5% in English marks will be applicable to candidates who are native of the Lakshadweep and Andaman &amp; Nicobar islands and belongs to their Scheduled Tribes and who &amp; both of whose parents were born in those islands &amp; belong to the Scheduled Tribes of those islands.</p>
(iv)	Eligibility -Medical	<p><b><u>Physical Fitness</u></b></p> <p><b>Candidates seeking admission to the these Marine Programmes must be medically fit including eye sight and hearing as prescribed in the Merchant Shipping (Medical Examination) Rules, 2000, as amended.</b></p> <p>At the time of admission, candidates will be required to produce certificate of medical fitness issued by doctors approved by the Directorate General of Shipping, Mumbai.</p> <p><b><u>Eye sight :</u></b></p> <p>There shall be no evidence of any morbid condition of either eye or of the lids of either eye which may be liable to risk of aggravation or recurrence. Candidates must possess good binocular vision (Fusion faculty and full field of vision in both eyes). Movement of the eyeballs must be full in all directions and the pupils should react normally to light and accommodation. Normal colour vision shall be tested by Ishihara test chart. Distance Vision unaided 1.0*(6/6) in better eye and 0.67*(6/9) in other eye.</p>
<b>C. 4-Year B.Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering)</b>		
(i)	Eligibility	10+2/equivalent (PCM-60%) with minimum of 50% marks in English subject in 10th / 12th Examination.
(ii)	Age Criteria	<p>Minimum age : 17years</p> <p><b>Maximum age:</b></p> <p><b>For Male : Gen-25 years, OBC(NCL)-28 years, SC/ST-30 years</b></p> <p><b>For Female: Gen-27 years, OBC(NCL)-30 years, SC/ST-32 years.</b></p> <p>The <b>reference date for calculation of the age</b> will be from the date of commencement of the Academic Session</p>
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English Marks.
(iv)	Eligibility -Medical	All Candidates who qualify for this courses will have to submit a Physical Fitness Certificate from Registered Medical Practitioner at the time of Certificate verification
<b>D. 3-Year B.Sc (Ship Building and Repair)</b>		
(i)	Eligibility	10+2/equivalent (PCM-60%) with minimum of 50% marks in English subject in 10th / 12th Examination.

(ii)	Age Criteria	Minimum age : 17years <b>Maximum age:</b> <b>For Male : Gen-25 years, OBC(NCL)-28 years, SC/ST-30 years</b> <b>For Female: Gen-27 years, OBC(NCL)-30 years, SC/ST-32 years.</b>  The <b>reference date for calculation of the age</b> will be from the date of commencement of the Academic Session
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English Marks.
(iv)	<b>Eligibility –Medical</b>	All Candidates who qualify for this courses will have to submit a Physical Fitness Certificate from Registered Medical Practitioner at the time of Certificate verification.

**E. 3-Year BBA (Logistics, Retailing and E-Commerce)**

(i)	Eligibility	10+2/equivalent with minimum 60% of aggregated marks in any stream and minimum of 50% marks in English subject in 10th / 12th Examination.  Note: Percentage of the Aggregate marks will be calculated by considering the marks scored in English subject plus the marks scored in Major Subjects (excluding other languages).
(ii)	Age Criteria	Minimum age : 17years <b>Maximum age:</b> <b>For Male : Gen-25 years, OBC(NCL)-28 years, SC/ST-30 years</b> <b>For Female: Gen-27 years, OBC(NCL)-30 years, SC/ST-32 years.</b>  The <b>reference date for calculation of the age</b> will be from the date of commencement of the Academic Session
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English Marks.
(iv)	Eligibility –Medical	All Candidates who qualify for this courses will have to submit a Physical Fitness Certificate from Registered Medical Practitioner at the time of Certificate verification.

**F. 1-Year DNS course leading to B.Sc (Applied Nautical Science)**

(i)	Eligibility	i) 10+2/equivalent (PCM-60%) with minimum of 50% marks in English subject in 10th/12 <sup>th</sup> Examination.  <b>OR</b>  ii) B.Sc. in Physics , Mathematics, Chemistry or Electronics with Physics as individual subject in one of the year, with an average of not less than <b>55% of the marks in the final year.</b>  <b>OR</b>  iii) B.E./B.Tech Degree from IIT or from a college recognised by AICTE with an average of not less than 50% <b>of the marks in the final year</b>  Note: The candidate should have a minimum of 50% marks in English subject in 10th/12th/Degree Examinations.
(ii)	Age Criteria	Minimum age : 17years <b>Maximum age:</b> <b>For Male : Gen-25 years, OBC(NCL)-28 years, SC/ST-30 years</b> <b>For Female: Gen-27 years, OBC(NCL)-30 years, SC/ST-32 years.</b>  The <b>reference date for calculation of the age</b> will be from the date of commencement of the Academic Session
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English Marks.  Relaxation of 5% in English marks will be applicable to candidates who are native of the Lakshadweep and Andaman & Nicobar islands and belongs to their Scheduled Tribes and who & both of whose parents were born in those islands & belong to the Scheduled Tribes of those island

(iv)	Eligibility -Medical	<p><b><u>Physical Fitness</u></b>  <b>Candidates seeking admission to the these Marine Programmes must be medically fit including eye sight and hearing as prescribed in the Merchant Shipping (Medical Examination) Rules, 2000, as amended.</b></p> <p>At the time of admission, candidates will be required to produce certificate of medical fitness issued by doctors approved by the Directorate General of Shipping, Mumbai.</p> <p><b><u>Eye sight :</u></b></p> <p>There shall be no evidence of any morbid condition of either eye or of the lids of either eye which may be liable to risk of aggravation or recurrence. Candidates must possess good binocular vision (Fusion faculty and full field of vision in both eyes). Movement of the eyeballs must be full in all directions and the pupils should react normally to light and accommodation. Normal colour vision shall be tested by Ishihara test chart. Distance Vision unaided 1.0*(6/6) in better eye and 0.67*(6/9) in other eye.</p>
<b><u>Lateral Entry Programmes for Admissions to 2<sup>nd</sup> Year</u></b>		
<b>A. 2nd Year B.Tech (Marine Engineering)</b>		
(i)	Eligibility	<p>Candidates who have passed:</p> <p>3-years Engineering Diploma in Marine/ Mechanical / Electrical / Electrical &amp; Electronics, <b>from the colleges approved by AICTE or State Board of Technical Education with minimum 55% of aggregate marks in the last year of Diploma Course</b></p> <p><b>OR</b></p> <p>4 years Diploma in Shipbuilding Engineering from the colleges approved by AICTE or State Board of Technical Education <b>with minimum 55% aggregate marks in the last year of diploma course</b></p> <p><b>OR</b></p> <p><b>1st year training from the Alternate Training Scheme, approved by D.G. Shipping (This will not be applicable to MERI).</b></p> <p><b>OR</b></p> <p><b>1st year from the Engineering College in other streams like Mechanical or Electrical approved by AICTE with minimum 60% average marks.</b></p> <p><b>OR</b></p> <p><b>3 years Diploma Course in the following categories, from the colleges approved by AICTE or State Board of Technical Education with minimum 55% of aggregate marks in the last year of Diploma Course :</b></p> <p>a) <b>Mechanical Engineering Stream :</b>  <b>Automobile /Machine Tools and Maintenance /Plant Engineering / Production Technology /Production Engineering /Advanced Diploma in Tool and Die Making.</b></p> <p>b) <b>Electrical Engineering Stream : Electrical Power System</b></p> <p>c) <b>Electrical and Electronics Engineering Stream :</b>  <b>Digital Electronics / Electronics and Communications/ Electronics &amp; Telecommunication / Industrial Electronics / Electronics / Electronics Production &amp; Maintenance /Instrumentation/ Instrumentation &amp; Control Engineering</b></p> <p><b>AND</b></p> <p>The candidate must have secured a minimum of 50% marks in English language at 10th or 12th or in the <b>Degree/Diploma Course</b> conducted by a recognized board or University</p> <p>The candidate should have completed the diploma within its stipulated duration of 3 or 4 years as the case may be.</p>
(ii)	Age Criteria	<p>Minimum age : 17 years  <b>Maximum age:</b>  <b>For Male : Gen-25 years, OBC(NCL)-28 years, SC/ST-30 years</b>  <b>For Female: Gen-27 years, OBC(NCL)-30 years, SC/ST-32 years.</b></p> <p>The <b>reference date for calculation of the age</b> will be from the date of commencement of the Academic Session</p>



(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English Marks.  Relaxation of 5% in English marks will be applicable to candidates who are native of the Lakshadweep and Andaman & Nicobar islands and belongs to their Scheduled Tribes and who & both of whose parents were born in those islands & belong to the Scheduled Tribes of those islands.
(iv)	Eligibility –Medical	<b><u>Physical Fitness</u></b> <b>Candidates seeking admission to the these Marine Programmes must be medically fit including eye sight and hearing as prescribed in the Merchant Shipping (Medical Examination) Rules, 2000, as amended.</b> At the time of admission, candidates will be required to produce certificate of medical fitness issued by doctors approved by the Directorate General of Shipping, Mumbai. <b><u>Eye sight :</u></b> There shall be no evidence of any morbid condition of either eye or of the lids of either eye which may be liable to risk of aggravation or recurrence. Candidates must possess good binocular vision (Fusion faculty and full field of vision in both eyes). Movement of the eyeballs must be full in all directions and the pupils should react normally to light and accommodation. Normal colour vision shall be tested by Ishihara test chart. Distance Vision unaided 0.5*(6/12) in each eye or 0.67*(6/9) in better eye and 0.33*(6/18) in other eye.
<b>B. 2nd Year B.Tech (Naval Architecture &amp; Ocean Engineering)</b>		
(i)	Eligibility	Candidates with 60% marks in: 4-year Diploma in Ship Building Engineering from the Institute of Ship Building Technology, Goa. <b>OR</b> 3-year Diploma in Naval Architecture and Offshore Engineering from the AMET University, Chennai <b>OR</b> 3-year Diploma in Mechanical Engineering/Civil Engineering from any Institute approved by AICTE <b>AND</b> A minimum of 50% marks in English subject in 10th/12th Examination.  The candidate should have completed the diploma within its stipulated duration of <b>3 or 4 years</b> , as the case may be.
(ii)	Age Criteria	Minimum age : 18 years <b>Maximum age:</b> <b>For Male : Gen-26 years, OBC(NCL)-29 years, SC/ST-31 years</b> <b>For Female: Gen-28 years, OBC(NCL)-31 years, SC/ST-33 years.</b> The <b>reference date for calculation of the age</b> will be from the date of commencement of the Academic Session
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English Marks.
(iv)	Eligibility -Medical	All Candidates who qualify will have to submit a Physical Fitness Certificate from Registered Medical Practitioner at the time of Certificate Verification.
<b>C. 2nd Year of B.Sc (Nautical Science)</b>		
(i)	Eligibility	1-year Diploma in Nautical Science (DNS) programme with 60% marks overall and a minimum of 50% marks in English subject in 10th/12th Examination.
(ii)	Age Criteria	Minimum age : 17 years <b>Maximum age:</b> <b>For Male : Gen-25 years, OBC(NCL)-28 years, SC/ST-30 years</b> <b>For Female: Gen-27 years, OBC(NCL)-30 years, SC/ST-32 years.</b>  The <b>reference date for calculation of the age</b> will be from the date of commencement of the Academic Session
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English Marks. Relaxation of 5% in English marks will be applicable to candidates who are

		native of the Lakshadweep and Andaman & Nicobar islands and belongs to their Scheduled Tribes and who & both of whose parents were born in those islands & belong to the Scheduled Tribes of those island.
(iv)	Eligibility -Medical	<p><b><u>Physical Fitness</u></b>  <b>Candidates seeking admission to the these Marine Programmes must be medically fit including eye sight and hearing as prescribed in the Merchant Shipping (Medical Examination) Rules, 2000, as amended.</b></p> <p>At the time of admission, candidates will be required to produce certificate of medical fitness issued by doctors approved by the Directorate General of Shipping, Mumbai.</p> <p><b><u>Eye sight :</u></b></p> <p>There shall be no evidence of any morbid condition of either eye or of the lids of either eye which may be liable to risk of aggravation or recurrence. Candidates must possess good binocular vision (Fusion faculty and full field of vision in both eyes). Movement of the eyeballs must be full in all directions and the pupils should react normally to light and accommodation. Normal colour vision shall be tested by Ishihara test chart. Distance Vision unaided 1.0*(6/6) in better eye and 0.67*(6/9) in other eye.</p>
<b>(ii) <u>Post Graduate programmes</u></b>		
<b>A. 2-Year M.Tech (Marine Engineering and Management)</b>		
(i)	Eligibility	BE/B.Tech in Marine Engineering/ Mechanical Engineering/ Naval Architecture with at least 60% marks from a recognized University. <b>OR</b> Associate Member of Institution of Engineers Part A and B in Mechanical Engineering with at least 60% marks (by examination). <b>OR</b> MEO Class I Certificate of Competency Issued by Govt. of India Note : Candidates with GATE Scores in Marine Engineering/ Mechanical Engineering/ Naval Architecture are exempted from IMU's CET, however, they will be considered for admissions only against the residuary seats.
(ii)	Age Criteria	There is no age restriction
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks
(iv)	Eligibility -Medical	All Candidates who qualify for this courses will have to submit a Physical Fitness Certificate from Registered Medical Practitioner.
<b>B. 2-Year M.Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering)</b>		
(i)	Eligibility	Engineering Graduate in Mechanical/ Civil/ Marine/ Naval Architecture or equivalent with 60% aggregate marks
(ii)	Age Criteria	There is no age restriction
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks
(iv)	Eligibility -Medical	All Candidates who qualify for this courses will have to submit a Physical Fitness Certificate from Registered Medical Practitioner.
<b>C. 2-Year M.Tech (Dredging and Harbour Engineering)</b>		
(i)	Eligibility	Engineering Graduate in Mechanical/ Civil/ Marine/ Naval Architecture or equivalent with 60% aggregate marks
(ii)	Age Criteria	There is no age restriction
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks
(iv)	Eligibility -Medical	All Candidates who qualify for this courses will have to submit a Physical Fitness Certificate from Registered Medical Practitioner.

<b>D. 2-Year M.Sc (Commercial Shipping and Logistics)</b>		
(i)	Eligibility	<p><b>Category-I:</b> A Bachelor's Degree in any discipline with minimum of 50% marks from recognized universities and minimum of 50% marks in English subject in 10th / 12th / UG Degree. Candidates under this category must appear for the IMU's Common Entrance Test (CET) and qualify in order to be eligible for admission to this Programme.</p> <p><b>Category-II:</b> 50% of seats in each IMU Campus where M.Sc (Commercial Shipping &amp; Logistics) is being offered shall be reserved for Seafarers with Master (FG) Certificate of Competency or MEO Class I Certificate of Competency. There will be no CET for Category-II candidates. If the number of applications from qualified Seafarers is less than the number of reserved seats, the vacant seats will be allotted to the candidates from Category-I. If the number of applications from qualified seafarers is greater than the number of reserved seats, then IMU will conduct a separate Offline Entrance Test for selecting Category-II candidates for the Programme.</p>
(ii)	Age Criteria	There is no age restriction
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English Marks.
(iv)	Eligibility -Medical	All Candidates who qualify for this courses will have to submit a Physical Fitness Certificate from Registered Medical Practitioner.
<b>E. 2-Year MBA (International Transportation and Logistics Management)</b>		
(i)	Eligibility	A Bachelor's Degree in any discipline with minimum of 50% marks from recognized universities and minimum of 50% marks in English subject in 10th / 12th / UG Degree
(ii)	Age Criteria	There is no age restriction
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English Marks.
(iv)	Eligibility -Medical	All Candidates who qualify for this courses will have to submit a Physical Fitness Certificate from Registered Medical Practitioner.
<b>F. 2-Year MBA (Port &amp; Shipping Management)</b>		
(i)	Eligibility	A Bachelor's Degree in any discipline with minimum of 50% marks from recognized universities and minimum of 50% marks in English subject in 10th / 12th / UG Degree.
(ii)	Age Criteria	There is no age restriction
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English Marks.
(iv)	Eligibility -Medical	All Candidates who qualify for this courses will have to submit a Physical Fitness Certificate from Registered Medical Practitioner.
<b>(iii) Postgraduate Diploma programmes</b>		
<b>1 –Year Post Graduate Diploma in Marine Engineering</b>		
(i)	Eligibility	<p>B.E / B.Tech in Mechanical Engineering with minimum marks of 50% in final year and with minimum 50% marks in English language at 10th or 12th or in Degree Exam.</p> <p><b>OR</b></p> <p><b>Full time B.E/B.Tech in all Mechanical Engineering Streams e.g. Mechanical and Automation, Mechanical and Electronics, Mechanical and Automobile etc. However, the word "Mechanical" should be first indicating that mechanical engineering is the core and the second subject is the elective. The candidate must have secured minimum 50% marks in English language at 10th or 12th or in Degree Exam.</b></p> <p><b>OR</b></p>

		<b>Candidates who have degree in all Naval Architecture streams, e.g. Naval Architecture and Ocean Engineering, Naval Architecture, and Ship building, etc. However, the word "Naval Architecture" should be first indicating that Naval Architecture is the core and the second subject is the elective. The candidate must have secured minimum 50% marks in English language at 10th or 12th or in Degree Exam.</b>
(ii)	Age Criteria	<b>Maximum age:</b> <b>For Male : Gen-28 years, OBC(NCL)-31 years, SC/ST-33 years</b> <b>For Female: Gen-30 years OBC(NCL)-33, years SC/ST-35 years.</b>  The <b>reference date for calculation of the age</b> will be from the date of commencement of the Academic Session.
(iii)	Relaxation for SC/ST candidates (if any)	There will be a 5% relaxation in eligibility marks; however, it will not apply to English Marks.  Relaxation of 5% in English marks will be applicable to candidates who are native of the Lakshadweep and Andaman & Nicobar islands and belongs to their Scheduled Tribes and who & both of whose parents were born in those islands & belong to the Scheduled Tribes of those islands.
(iv)	Eligibility -Medical	<b><u>Physical Fitness</u></b> <b>Candidates seeking admission to the these Marine Programmes must be medically fit including eye sight and hearing as prescribed in the Merchant Shipping (Medical Examination) Rules, 2000, as amended.</b> At the time of admission, candidates will be required to produce certificate of medical fitness issued by doctors approved by the Directorate General of Shipping, Mumbai. <b><u>Eye sight :</u></b> There shall be no evidence of any morbid condition of either eye or of the lids of either eye which may be liable to risk of aggravation or recurrence. Candidates must possess good binocular vision (Fusion faculty and full field of vision in both eyes). Movement of the eyeballs must be full in all directions and the pupils should react normally to light and accommodation. Normal colour vision shall be tested by Ishihara test chart. Distance Vision unaided 0.5*(6/12) in each eye or 0.67*(6/9) in better eye and 0.33*(6/18) in other eye.

*Note: The Ordinance 26 of 2018 published in the Official Gazette No. 350 dated 12.09.2018 shall be repealed.*

#### **Ordinance 02 of 2020**

*[EC-2020-54-10 dated 09.07.2020]*

#### **“Ordinance prescribing Evaluation Process, procedure for Re-evaluation, Re-Totalling, Issue of Photocopy of Answer Scripts, Examination Committee and Review of Answer Scripts for IMU’s Programmes**

##### **1. Evaluation Process (in the case of Manual Evaluation)**

- 1.1. Single evaluation will be done for UG & PG Programmes.
- 1.2. Evaluation of Answer Scripts will be done in the respective zone / center assigned by the Examinations Section (HQ).
- 1.3. The Answer Scripts will be handed over by the appointed Zonal Coordinator to the examiners along with the OMR sheets for capturing the marks.
- 1.4. The Examiner will give marks for each question only on the first Sheet provided in the Answer Scripts.
- 1.5. The Examiner should not make any markings in the Answer Scripts as these Answer Scripts may be required to be reevaluated in future. This is done to avoid the Second and Third Examiners (where required) from becoming biased by the earlier evaluations.
- 1.6. Any Examiner found making of markings in the Answer Script will be debarred from becoming Examiner for 1 year. The names of such debarred Examiner is to be maintained at the Examination Section (HQ).

- 1.7. Each Examiner should evaluate maximum 50 in a day and maximum of 1000 Answer Scripts in an Exam session. In case of more Answer Scripts are to be evaluated by particular Examiner either due to shortage of Faculty or for any other reason, the Zonal Coordinator shall seek special approval from the CoE.
- 1.8. The Answer Scripts of all programmes have to be evaluated and marks for the same have to be captured on the OMR sheets. These OMR sheets have to be sent to the Examinations Section (HQ) through the Zonal Coordinator for Result processing.
- 1.9. In case, an Examiner fails to award marks for an answer written by a student, remuneration for the answer scripts will not be paid to the Examiner.
- 1.10. In case, mistakes of more than 1% as mentioned in 1.9 above are attributable to one Faculty from among the Answer Scripts evaluated by Faculty, he/she will not be paid any remuneration at all for all the other papers also. Further such Faculty will not be allowed to evaluate any Answer Scripts for next two End Semester Examinations.
- 1.11. The results for the examination will be published with the approval of the Vice Chancellor.

## 2. **Evaluation Process (in the case of Online Evaluation)**

- 2.1 Single evaluation will be done for UG & PG Programmes.
- 2.2 Evaluation of Answer Scripts will be done in the respective zone assigned by IMU HQ.
- 2.3 The Answer Scripts of the concerned IMU Campus and Affiliated Institutes assigned to the concerned Zone Valuation will be handed over by the appointed Zonal Coordinator to the Service Provider for scanning and to be made available for valuation in the computer using the specialized software by the Service Provider.
- 2.4 The Examiner will award marks for each answers in the places indicated by the Service provider in the Computer, assigned for online valuation.
- 2.5 Each Examiner can evaluate maximum 50 Answer Scripts per day and maximum 1000 Answer Scripts in a semester. In case of more Answer Scripts are to be evaluated by particular Evaluator either due to shortage of Faculty or for any other reason, the Zonal Coordinator shall seek special approval from the Controller of Examinations.
- 2.6 In case mistakes of more than 1% as mentioned in 2.5 above are attributable to one Faculty from among the Answer Scripts evaluated by him / her, he/she will not be paid any remuneration at all for all the other papers also. Further, he / she will not be allowed to evaluate any Answer Scripts for next two End Semester Examinations.
- 2.7 A random check of 1/100<sup>th</sup> of the answer scripts of each subject shall be undertaken for independent evaluation and any significant deviations will be addressed by a suitable mechanism devised from time to time and reported to School Boards.
- 2.8 The results for the examination will be published with the approval of the Vice Chancellor.

## 3. **Issue of Photocopies (in the case of Manual Evaluation)**

- 3.1. Photocopies of answer scripts will be issued to failed candidates only, on payment of fee prescribed in relevant Ordinance through any Electronic/Online mode of transfer of funds or in such other manner as may be prescribed by the University
- 3.2. The application must be made within 3 days from the date of publication of Examination results.
- 3.3. Photocopies (Hardcopy) of answer scripts will be obtained from the concerned zone where the evaluation were carried out and sent to the respective Directors/Principals in order to distribute the answer scripts to the concerned students.

#### **4. Issue of Photocopies (in the case of Online Evaluation)**

- 4.1. The procedure mentioned at para 3.1 to 3.2 are same.
- 4.2. Soft (Digital) copy of the answer scripts requested by the students will be enabled in the Student Portal, who can view the answer script. In this case, hard copy of answer scripts will not be distributed.

#### **5. Re-evaluation Application Procedure**

- 5.1. Application for Re-evaluation of answer scripts of failed subjects will be considered only for the current exam season (i.e., after conduct of exam and before declaration of results). Application for re-evaluation of Answer Scripts will not be considered for Practical Examinations, Field work, internal assessments, thesis submitted in lieu of a papers etc.
- 5.2. Application for Re-evaluation shall be made in the prescribed form.
- 5.3. Application for Re-evaluation should be submitted within 10 days from the date of publication of the results unless otherwise specified by the University.
- 5.4. Applications received after the last date prescribed will not be considered under any circumstances.
- 5.5. Fee as per ordinance once remitted for Re-evaluation of answer scripts will not be refunded.

#### **6. Re-evaluation Guidelines**

- 6.1. The paper for Re-evaluation should not be valued by the same examiner who has done the first valuation.
- 6.2. The paper for Re-evaluation should not be revalued by any Examiner who belongs to the same campus/college where the candidate studied before appearing for that paper except where a Programme is conducted at only One Campus/College.
- 6.3. Not more than 25 papers per session should be given to an Examiner for Re-evaluation.
- 6.4. After the re-evaluation (either second or third), the marks obtained in the re-evaluation will be uploaded in the result sheet irrespective of the final result either pass or fail and the latest mark will be indicated in the marks sheet.
- 6.5. The mark sheets of the Candidates who had applied either for re-evaluation or retotalling will be issued only after the completion of the re-evaluation/retotalling process.
- 6.6. If the work of an Examiner leads to an increase or decrease of marks in Re-evaluation in more than 20% of the scripts, explanation shall be called for from the concerned Examiner through proper channel and the reply will be placed before the Vice-Chancellor for further action.
- 6.7. Where there is variation of more than **15% between** the first and second valuation, the paper shall be sent for third valuation. **The final marks shall be the average of best two among the three valuations.**
- 6.8. All works relating to Re-evaluation will be treated as confidential and therefore interim enquiries will not be entertained.
- 6.9. Remuneration for Re-evaluation will be paid at the approved rates of Indian Maritime University.
- 6.10. The Directors of the Campuses /Principals of the Affiliated Institutes should make available the Examiners required for Evaluation (including Re-evaluation/Re-totalling) on top priority basis on the day and date allotted by the Controller of Examinations.
- 6.11. Faculties of IMU Campuses and Affiliated Institutes who have taught a subject in the previous semester must attend to the Evaluation work (including Re-evaluation/Re-totalling) as assigned by the IMU Headquarters without fail. If any Faculty fails to attend the work of Evaluation (including Re-evaluation/Re-totalling), then the concerned Faculty would be debarred for three years. This would also have an adverse effect on the continuation of the Affiliation of the institute in case the institute fails to provide sufficient number of faculty.

**7. Retotalling:**

- 7.1. There is no retotalling in the case of Online Evaluation
- 7.2. Application for Re-totalling of answer scripts will be considered for Under Graduate Examinations, Post Graduate Examinations, other than Practical Examinations, field work, internal assessment, thesis submitted in lieu of a paper.
- 7.3. Application for Re-totalling shall be made in the prescribed form.
- 7.4. Fee once remitted for Re-totalling of answer scripts will not be refunded.
- 7.5. All works relating to Re-totalling will be treated, as confidential and therefore interim enquiries will not be entertained.
- 7.6. Application for Re-totalling should reach the Office of the Controller of Examinations within 5 days from the date of publication of the results unless otherwise specified by the University.
- 7.7. The Re-totalling will be done by the Faculty to be nominated by the Controller of Examinations.
- 7.8. After the retotalling, the marks obtained in the retotalling will be uploaded in the result sheet irrespective of the final result either pass or fail and the latest mark will be indicated in the marks sheet.

**8. Examination Committee**

- 8.1 The University will have a School wise Examination Committee. The composition of the Committee will be as per the following two Categories:

**A] Schools where Programmes are also conducted in Affiliated Institutes besides IMU Campuses:**

1.	The Vice Chancellor		Chairman
2.	One Director of the IMU Campuses where the programme is being taught to be nominated by the Vice Chancellor	1	Member
3.	One Faculty/HoD from each Department in each School from one of the IMU Campuses to be nominated by the Vice Chancellor	2	Members
4.	The HOD of each Department in each School from any 5 Affiliated Institutes Nominated by the Vice Chancellor in rotation	5	Members
5.	Controller of Examinations		Member Secretary

**B] Schools where Programmes are conducted only in IMU**

1.	The Vice Chancellor		Chairman
2.	One Director of the IMU Campuses where the programme is being taught to be nominated by the Vice Chancellor	1	Member
3.	The HOD/ HOD i/c of each Department in each School from IMU to be nominated by the Vice Chancellor	1	Member
4.	At least 2 Faculty nominated by the Vice Chancellor from the same School	2	Members
5.	Controller of Examinations		Member Secretary

- 8.2 This Committee is valid for two years and the members may be eligible for reappointment.

- 8.3 One-third of the members shall form quorum for a meeting of the Committee
- 8.4 Functions of this Committee will include the following:
- (a) The Committee shall consider & approve the consolidated results and arrange for the declaration of the examination results of their respective School.
- (b) Such other duties and functions as may be assigned to it by the Academic Council, provided that the Examination Committee may delegate any or all of its powers mentioned above to any officer of the University.”

**9. Review of answer scripts:**

- 9.1 The students (both passed and failed) can register for review of answer scripts only in the student Portal.
- 9.2 Application for Review shall be submitted within 5 days from the date of publication of the re-evaluation results unless otherwise specified by the University. Applications received after the last date prescribed will not be considered under any circumstances.
- 9.3 The prescribed fee (as per relevant Ordinance) for review shall be paid through online mode or in such other manners as may be prescribed by the University.
- 9.4 the **Academic Council** will constitute a three-member Committee (subject wise) comprising three subject experts from Campus/Affiliated Institute/any Institute outside the IMU based on the recommendation of the **Vice Chancellor** , to review the answer scripts.
- 9.5 The COE may ensure that the Committee should not know the marks secured by the students and wherever possible the Faculty from the same Campus/Institute of the student, should not be made as a part of Committee for transparent and independent evaluation.
- 9.6 The Committee will review the answer script of the student and submit the report on Change in Marks to the CoE:
- (a) If the student who has failed originally and obtain the pass mark after review, his/her final scores shall be the marks awarded by the review Committee.
- (b) If the student who has passed already and obtained an increase in marks after review, his/ her final scores shall be the marks awarded by the review Committee.
- (c) For the cases other than (a) and (b) as mentioned above, the final marks shall be the marks awarded by the Review Committee, even if he gets less marks in the Review.
- 9.7 All works relating to Review will be treated as confidential and therefore interim enquiries will not be entertained.
10. This Ordinance will supersede all the earlier Ordinances on this subject regarding Evaluation process and procedure for Re-evaluation, Re-totalling, Issue of Photocopy of Answer Scripts, Grace marks & Review of Answer Scripts. This will come into force with immediate effect.

*Note: The Ordinance 15 of 2015 published in the Official Gazette No. 350 dated 12.09.2018 and Ordinance 02 of 2019 published in the Official Gazette No. 345 dated 30.09.2019 shall be repealed.*

**Ordinance 03 of 2020**

[EC 2020-54-18 dated 09.07.2020]

***Ordinance prescribing the Affiliation Fees***

- (i) *“Initial (Provisional) Affiliation Fee to be collected as ‘onetime’ fee at the time of grant of affiliation for a course at the rates indicated below:*
- (a) *For DNS Course leading to B.Sc. (Nautical Science)*



<i>Sanctioned strength of students</i>	<i>Initial Affiliation Fee (in Rupees)</i>
<i>Up to 80</i>	<i>2,00,000</i>
<i>81 – 160</i>	<i>4,25,000</i>
<i>161 – 240</i>	<i>6,75,000</i>
<i>241 and above</i>	<i>9,50,000</i>

(b) *For other U G Degree Courses (per course)*

<i>Sanctioned strength of students</i>	<i>Initial Affiliation Fee (in Rupees)</i>
<i>Upto 40</i>	<i>1,50,000</i>
<i>41 – 80</i>	<i>3,25,000</i>
<i>81- 120</i>	<i>5,25,000</i>
<i>121 and above</i>	<i>7,50,000</i>

(c) *For P G Courses (per course)*

<i>Sanctioned strength of students</i>	<i>Initial Affiliation Fee (in Rupees)</i>
<i>Upto 20</i>	<i>3,00,000</i>
<i>21 –40</i>	<i>6,00,000</i>

(ii) *Provisional Affiliation will be granted initially for a period of 3 years, and later extended for a period of 3 years at a time. There will be a flat Continuation Fee of Rs.50,000 (Rs. Fifty Thousand only) (irrespective of sanctioned strength) to be paid every 3 years at the time of extension/continuation of provisional affiliation.*

(iii) *At the end of 9 years an Affiliated Institute should be eligible to apply for permanent affiliation, but the earliest an Affiliated Institute can get Permanent Affiliation is when it completes 10 years, the period being counted from the date of affiliation of the institute to IMU.*

(iv) *For permanent affiliation, the Institute must pay a flat Permanent Affiliation Fee of Rs.10,00,000 (Rs Ten lakhs only) per course for all courses (DNS, UG, PG). When an Institute gets permanent affiliation, there will be no further Continuation Fees.*

(v) *An Affiliated Institute will be eligible to apply for Autonomous Status only after it gets permanent affiliation.*

(vi) *The revised fee under this ordinance shall be applicable retrospectively from the date of grant of affiliation to the respective Institutes. “*

(vii) *Fees mentioned in this ordinance are exclusive of GST and hence applicable GST will be charged, as per the GST Act 2017, as amended from time to time.*

*Note: The Ordinance 24 of 2018 published in the Official Gazette No. 350 dated 12.09.2018 shall be repealed.*

**Ordinance 04 of 2020**

[EC 2020-54-21 dated 09.07.2020]

**Ordinance prescribing “Fees and Remuneration for Examinations, Convocations and various other purposes”**

Sl. No.	Particulars	Fees. Rs.
<b>A) Common Entrance Test (CET)/ Common Recruitment Test (CRT) related fees</b>		
(i)	Online Application Fee (CET/Non-CET) UG/PG/Ph.D Programmes - for General Students:	Rs. 1,000
(ii)	Online Application Fee (CET/Non-CET) UG/PG, Ph.D Programmes - for SC/ST Students:	Rs. 700
(iii)	Online Application/Registration Fee (BBA) – General Students	Rs. 200
(iv)	Online Application/Registration Fee (BBA) – SC/ST Students	Rs. 140
(v)	Online Application Fee- (CRT/Non CRT) for recruitments of all posts - General candidates	Rs. 1,000
(vi)	Online Application Fee – (CRT/Non-CRT) for recruitments of all posts for SC/ST candidates	Rs. 700
<b>B) Examination and other related fees</b>		
<b>Under Graduate / Post Graduate / Diploma / Certificate Courses</b> (Semester and Non-Semester system)		
(i)	Each written paper/Practical/Project/ Dissertation/ Viva voce including arrears w.e.f Academic Year 2021-22	Rs. 500
(ii)	Each attempt for 3 <sup>rd</sup> , 4 <sup>th</sup> & 5 <sup>th</sup> semester for B.Sc (Applied Nautical Science-DLP) –w.e.f September 2020.	Rs.4000 per semester
<b>2) Ph.D Courses</b>		
(i)	Annual fee for Full-time Ph.D Scholars	
	For the first 3 years	Rs. 30,000
	For extension to 4 <sup>th</sup> and 5 <sup>th</sup> years by Doctoral Committee	Rs. 40,000
	For extension to 6 <sup>th</sup> year by the Vice Chancellor	Rs. 50,000
(ii)	Annual fee for Part-time Ph.D Scholars	
	For the first 4 years	Rs. 60,000
	For extension to 5 <sup>th</sup> and 6 <sup>th</sup> years by Doctoral Committee	Rs. 75,000
	For extension to 7 <sup>th</sup> year by the Vice Chancellor	Rs. 1,00,000
(iii)	Pre-Synopsis Seminar presentation fee	Rs. 10,000
(iv)	Synopsis submission fee	Rs. 10,000.
(v)	Thesis submission fee	Rs. 30,000.
(vi)	Viva Voce fee	Rs. 20,000.
A Ph.D candidate who fails to submit his thesis within the maximum allowable period and who is required to re-register afresh will have to pay all the fees from (i) onwards all over again.		

<b>C) Other fees related to Examinations</b>		
(i)	For obtaining Photo copy of Answer Script	Rs. 80
(ii)	For checking the addition of the marks in each paper of a candidate for any University exam (for each paper) - Re-totaling	Rs. 250
(iii)	Revaluation fee per paper	Rs. 500
(iv)	Fee for Review Per Paper	Rs.5000
(v)	For issuing statement of marks for each examination each appearance	Rs. 150
(vi)	For issue of duplicate statement of marks for each examination each appearance	[Rs. 200 + Rs.100 search fee for each previous year]
(vii)	Consolidated statement of marks	Rs. 500
(viii)	Provisional Certificate	Rs. 250
(ix)	Duplicate Provisional certificate	Rs. 500
(x)	Transcript fee	
	- One copy	Rs. 1000
	- Every additional copy	Rs. 500
<b>D) Convocation and other related fees</b>		
(i)	Under Graduate/Post Graduate degrees	
	- In person / In absentia	Rs. 1000
(ii)	Ph.D.	
	- In person/ In absentia	Rs. 2,000
(iii)	Any other degree/diploma/certificate	
	- In person / In absentia	Rs. 500
(iv)	Duplicate Degree	[Rs.1000 + Rs.100 search fee for each previous year]
<b>E) Admission Registration/Counselling Fee and Programme Fee/One time Registration Fee</b>		
(i)	One-time Admission Registration / Counselling fee, payable at the time of Admission by all new students of IMU Campuses as well as Affiliated Institutes including management / sponsored candidates, those who get admission into 2nd year by Lateral Entry, and Ph.D candidates. <i>Any candidate, who is allotted a seat in any of the Programmes in any IMU campuses through IMU's counselling, is not eligible for refund of the Counselling / Admission Registration Fee</i>	Rs. 10,000
	<i>For candidate who is not allotted a seat in any of the Programmes in any of the IMU Campuses, an amount of Rs. 1000/- will be retained for meeting the administrative expenditure and the remaining balance of Rs. 9000/- only will be refunded.</i>	
(ii)	Programme Fee, payable every year by all <i>Diploma</i> , U.G and P.G students of IMU Campuses as well as Affiliated Institutes including management / sponsored candidates and those who get admission into 2nd year by Lateral Entry.	Rs. 25,000.
(iii)	<i>One time Re-Registration Fee for B.Sc (Applied Nautical Science – DLP)-w.e.f. September 2020.</i>	Rs.30000

<b>F) Other fees</b>		
(i)	Condonation Fee for Shortage of Attendance	Rs. 5,000 for students maintaining attendance equal to or above 80% but below 85% and Rs. 10,000 for students maintaining attendance equal to or above 75% but below 80%.
(ii)	<i>Re-admission Fee</i> for Break-in-Studies	Rs. 2000 for break of 1 year; Rs. 5000 for break of 2 years and Rs. 9000 for break of 3 years.
(iii)	Fees for effecting change of names or date of birth of Candidates in the Records of the University and in Certificate/Diplomas	Rs. 500
(iv)	For obtaining a Migration Certificate	Rs. 500
(v)	For obtaining duplicate Migration certificate	Rs. 1000
(vi)	Request for verification of genuineness of certificate	Rs. 1000
<b>G) Remuneration for Question Paper setters and related activities</b>		
(i)	Question Paper Setting	
	Common Recruitment Test (CRT)	Rs. 5,000
	Common Entrance Test (CET)	Rs. 2,500
	University examinations	Rs. 1,500
(ii)	Preparation of Answer Key	
	Common Recruitment Test (CRT)	Rs. 5,000
	Common Entrance Test (CET)	Rs. 2,500
	University examinations	Rs. 1,500
<b>H) Remuneration for examination duties</b>		
(i)	Flying Squad	Rs. 1,500 per day.
(ii)	Chief Superintendent	Rs. 1500*
(iii)	Observer [Group A]	Rs. 1500* per day.
(iv)	Observer [Group B & C]	Rs. 1250* per day.
(v)	Invigilation / Hall Superintendent (per session) - for every 25 students.	Rs. 500 per session.
(vi)	Supporting Clerical – for every 100 students.	Rs. 200 per day.
(vii)	Attender – for every 100 students.	Rs. 100 per day.
(viii)	Remuneration for evaluation of Practical Exams (incl. Record & Viva).	Rs. 15 per student - each for internal and external Examiners.
(ix)	Remuneration to Examiners for Thesis/Dissertation and Viva Voce for UG and PG Courses.	Rs. 150 per student for Dissertation and Rs. 50 per student for Viva Voce - Each for internal and external Examiners.

<b>I) Remuneration for Evaluation and Related duties</b>		
(i)	Coordinators / Chairman	Rs. 1000 per day (subject to maximum of Rs.5000 per semester).
(ii)	Evaluation Remuneration	Rs. 50 per answer script (subject to a ceiling of 25 answer scripts per session or 50 answer scripts per day).
(iii)	Supporting Clerical staff	Rs. 200 per day.
(iv)	Attender	Rs. 100 per day.
<b>J) Remuneration to be paid to Guides, Co-Guides, IMU Faculty Members, Experts and Examiners engaged for the Ph.D programmes</b>		
<b>(1)</b>	<b>Doctoral Committee</b>	
(i)	Guide (Indian)	Rs. 5,000 to be paid after submission of Synopsis; another Rs. 5,000 after completion of Viva Voce.
(ii)	Co-Guide (Indian)	Rs. 4,000 to be paid after submission of Synopsis; another Rs. 4,000 after completion of Viva Voce.
(iii)	Guide or Co-Guide (Foreign)	As mutually agreed.
(iv)	IMU Faculty member (other than Guide or Co-Guide) on the Doctoral Committee	Rs. 3,000 after submission of Synopsis; another Rs. 3,000 after completion of Viva Voce.
(v)	Experts outside IMU on the Doctoral Committee	Rs. 2,500 per Day
<b>(2)</b>	<b>Thesis Adjudication</b>	
(i)	External Examiner (Indian)	Rs. 5,000.
(ii)	External Examiner (Foreign)	US \$750.
<b>(3)</b>	<b>Viva Voce Examiner (Indian)</b>	
		Rs. 2,500

(\* If the number of students appearing in a particular Examination Centre is less than 10, then the Remuneration payable will stand reduced by 50%.

Fees mentioned in this ordinance are exclusive of GST, hence applicable GST will be added wherever applicable as per GST Act, as amended from time to time.

Fees mentioned in this ordinance will come into force with immediate effect, unless otherwise mentioned individually

Note: The Ordinance 19 of 2015 published in the Official Gazette No. 273 dated 19.07.2018 shall be repealed.

### Ordinance 5 of 2020

[EC 2020-57-06 dated 18.12.2020]

### Recruitment Rules for the post of Registrar

1.	Name of the post	Registrar
2.	Number of Posts	1
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Level 14 under 7 <sup>th</sup> CPC [Pre-revised PB-4: GP 10000]

5.	Whether Selection post or non-Selection post	Not Applicable
6.	Age limit for direct recruitment	Age not more than 57 years. [Relaxations in age will be extended to Ex-servicemen and persons with disability as per Government of India norms.]
7.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment	<p><b><u>Category 1</u></b></p> <p>a) Educational Qualifications- Essential: Master's Degree with at least 55% marks or an equivalent grade in point scales where grading system is followed; Desirable: Degree in Management/Law or a Ph.D degree</p> <p style="text-align: center;"><b>[AND]</b></p> <p>b) At least 15 years' experience as Assistant Professor in the Academic Level 11 and above or with 8 years of service in the Academic Level 12 and above including as Associate Professor along with at least 3 years' experience in educational administration</p> <p style="text-align: center;"><b>[OR]</b></p> <p>Comparable experience in research establishment and / or other institutions of higher education</p> <p style="text-align: center;"><b>[OR]</b></p> <p>15 years' of administrative experience in any organization, of which at least 8 years shall be as Deputy Registrar or equivalent post [Pay Level 12 and above]</p> <p><b><u>Category 2</u></b></p> <p>(a) Master (Foreign Going) / MEO Class I (Motor) Certificate of Competency; and</p> <p>(b) A minimum of fifteen years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas:</p> <p>(i) Sailing experience at Management level;</p> <p>(ii) Teaching Nautical Science or Marine Engineering in a recognised maritime institution;</p> <p>(iii) Nautical or Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society;</p> <p>(iv) Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company.</p> <p>(v) Management/Administrative experience at senior level in any organization in the maritime sector.</p>
8.	Whether Age & Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	<b>Deputationists</b> Age – Yes. Educational Qualifications: Yes.
9.	Period of probation, if any	Not Applicable.
10.	Method of recruitment.	Direct Recruitment/ Deputation. In case of receipt of large number of applications, a suitable procedure as approved by the Executive Council will be adopted to shortlist candidates.
11.	If a Selection Committee exists, what is its composition?	As per Statute 21 and Statute 5(1), the Selection Committee will consist of: (i) The Vice-Chancellor as Chairperson. (ii) Pro-Vice Chancellor

		<p>(iii) A nominee of the Visitor</p> <p>(iv) Two members of the Executive Council nominated by it.</p> <p>(v) One person not in the service of the University nominated by the Executive Council.</p> <p>(vi) One nominee of the Court</p>
12.	Remarks	<p>(i) The Registrar shall be appointed for a term of five years and shall be eligible for re-appointment for one more term (after observance of due selection process).</p> <p>(ii) Age of superannuation: 62 years for Direct Recruits. For Deputationists, relevant age of the sponsoring department/agency will apply subject to a maximum of 62 years.</p> <p>(iii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.</p> <p>(iv) The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities.</p> <p>(v) The decision of IMU regarding the relevancy of qualifications and experience shall be final.</p> <p>(vi) Internal Candidates selected under the direct recruitment will return to their substantive post on completion of specified tenure.</p>

**Note:** The Ordinance 34 of 2015 [Recruitment Rules for the post of Registrar ] published in Gazette 183 dated 19.07.2018 shall be repealed.

**Ordinance 06 of 2020**  
[EC 2020-57-06 dated 18.12.2020]

**Recruitment Rules for the post of Finance Officer**

1.	Name of the post	Finance Officer
2.	Number of Posts	1
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Level 14 under 7 <sup>th</sup> CPC [Pre-revised PB-4: GP 10000]
5.	Whether Selection post or non-Selection post	Not Applicable
6.	Age limit for direct recruitment	Age not more than 57 years. [Relaxations in age will be extended to Ex-servicemen and persons with disability as per Government of India norms.]
7.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment	<p><b><u>Category 1:</u></b></p> <p>a) Educational Qualifications</p> <p>Essential: Master's Degree with at least 55% marks or an equivalent grade in point scales where grading system is followed.</p> <p>Desirable: Bachelor's degree with CA/ICWA [or] at least 55% marks or its equivalent grade in Master of Commerce Degree.</p> <p style="text-align: center;"><b>[AND]</b></p> <p>b) At least 15 years' experience in Pay Level 10 under 7<sup>th</sup> CPC pay level or above, out of which at least 8 years' experience shall be in Grade Pay of Rs.7,600 or above or equivalent in any Organization.</p> <p><b><u>Category 2:</u></b></p> <p>Essential:</p> <p>(i) Serving or retired officer of Central/State Governments with at least 12 years' experience as Group A officer in Finance/ Accounting/Budgeting.</p>

8.	Whether Age & Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	<b>Deputationists</b> (only serving employees shall apply on deputation basis) Age – Yes. Educational Qualifications: Yes.
9.	Period of probation, if any	Not Applicable.
10.	Method of recruitment.	Deputation/Direct Recruitment. In case of receipt of large number of applications, a suitable procedure as approved by the Executive Council will be adopted to shortlist candidates.
11.	If a Selection Committee exists, what is its composition?	As per Statute 21, the Selection Committee will consist of: (i) The Vice-Chancellor as Chairperson. (ii) Pro-Vice Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) Two members of the Executive Council nominated by it. (v) One person not in the service of the University nominated by the Executive Council.
12.	Remarks	(i) The Finance Officer shall be appointed for a term of five years and shall be eligible for re-appointment for one more term (after observance of due selection process). (ii) Age of superannuation: 62 years for Direct Recruits. For Deputationists, relevant age of the sponsoring department/ agency will apply subject to a maximum of 62 years. (iii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. (iv) The educational qualifications must be from a university/ institution recognised by Statutory Authorities. (v) The decision of IMU regarding the relevancy of qualifications and experience shall be final. (vi) Internal Candidates selected under the direct recruitment will return to their substantive post on completion of specified tenure.

**Note:** The Ordinance 13 of 2015 [Recruitment Rules for the post of Finance Officer] published in Gazette 305 dated 03.09.2015 shall be repealed.

**Ordinance 07 of 2020**  
[EC 2020-57-06 dated 18.12.2020]

**Recruitment Rules for the post of Controller of Examinations**

1.	Name of the post	Controller of Examinations
2.	Number of Posts	1
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Level 14 under 7 <sup>th</sup> CPC [Pre-revised PB-4: GP 10000]
5.	Whether Selection post or non-Selection post	Not Applicable
6.	Age limit for direct recruitment	Age not more than 57 years. [Relaxations in age will be extended to Ex-servicemen and persons with disability as per Government of India norms.]
7.	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment	<b><u>Category 1:</u></b> a) Educational Qualifications- Essential: Master's Degree with at least 55% marks or an equivalent grade in point scales where grading system is followed;



		<p>Desirable: Degree in Management/Law or a Ph.D degree</p> <p style="text-align: center;"><b>[AND]</b></p> <p>b) At least 15 years' experience as Assistant Professor in the Academic Level 11 and above or with 8 years of service in the Academic Level 12 and above including as Associate Professor along with at least 3 years' experience in educational administration</p> <p style="text-align: center;"><b>[OR]</b></p> <p>Comparable experience in research establishment and / or other institutions of higher education</p> <p style="text-align: center;"><b>[OR]</b></p> <p>15 years' of administrative experience in any organization, of which at least 8 years shall be as Deputy Registrar or equivalent post [Pay Level 12 and above]</p> <p><b><u>Category 2</u></b></p> <p>(a) Master (Foreign Going) / MEO Class I (Motor) Certificate of Competency;</p> <p>(b) Sailing experience of minimum of two years at Management level within the meaning of STCW Convention in force; and</p> <p>(c) A minimum of fifteen years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas:</p> <p>(i) Sailing experience at Management level;</p> <p>(ii) Teaching Nautical Science or Marine Engineering in a recognised maritime institution;</p> <p>(iii) Nautical or Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society;</p> <p>(iv) Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company.</p> <p>(v) Management/Administrative experience at senior level in any organization in the maritime sector.</p>
8.	Whether Age & Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	<p><b>Deputationists</b></p> <p>Age – Yes.</p> <p>Educational Qualifications: Yes.</p>
9.	Period of probation, if any	Not Applicable.
10.	Method of recruitment.	<p>Deputation/Direct Recruitment through Interview.</p> <p>In case of receipt of large number of applications, a suitable procedure as approved by the Executive Council will be adopted to shortlist candidates.</p>
11.	If a Selection Committee exists, what is its composition?	<p>As per Statute 21, the Selection Committee will consist of:</p> <p>(i) The Vice-Chancellor as Chairperson.</p> <p>(ii) Pro-Vice Chancellor</p> <p>(iii) A nominee of the Visitor</p> <p>(iv) Two members of the Executive Council nominated by it.</p> <p>(v) One person not in the service of the University nominated by the Executive Council.</p>

12.	Remarks	<p>(i) The Controller of Examinations shall be appointed for a term of five years and shall be eligible for re-appointment for one more term (after observance of due selection process).</p> <p>(ii) Age of superannuation: 62 years for Direct Recruits. For Deputationists, relevant age of the sponsoring department/agency will apply subject to a maximum of 62 years.</p> <p>(iii) The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.</p> <p>(iv) The educational qualifications must be from a university/ institution recognised by Statutory Authorities.</p> <p>(v) The decision of IMU regarding the relevancy of qualifications and experience shall be final.</p> <p>(vi) Internal Candidates selected under the direct recruitment will return to their substantive post on completion of specified tenure.</p>
-----	---------	--

**Note:** The Ordinance 35 of 2015 [Recruitment Rules for the post of Controller of Examinations] published in Gazette 305 dated 03.09.2015 shall be repealed.

K. SARAVANAN, Registrar  
[ADVT.-III/4/Exty./118/2021-22]